सत्यमेव जयते

भारत सरकार रेल मंत्रालय

रेलवे भर्ती बोर्ड

विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना सीईएन : 08/2025

आइसोलेटेड कोटियों के विभिन्न पदों के लिए भर्ती

विषय-सूची

क्र.सं.	पैरा संख्या	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
1		महत्वपूर्ण दिनांक	4
2		महत्वपूर्ण निर्देश	4
3	1.0	सामान्य निर्देश	7
4	2.0	रिक्तियां	9
5	3.0	चिकित्सा योग्यता का मानक	9
6	4.0	राष्ट्रीयता / नागरिकता	10
7	5.0	आयु सीमा	10
8	5.1	उम्मीदवारों की जन्म दिनांक	10
9	5.2	आयु में छूट	11
10	6.0	शैक्षणिक योग्यता	11
11	7.0	परीक्षा शुल्क	11
12	7.1	शुल्क भुगतान के तरीके	12
13	7.2	अल्पसंख्यक	12
14	7.3	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी)	12
15	7.4	परीक्षा शुल्क की वापसी	12
16	8.0	लंबवत आरक्षण	12
17	8.5	ओबीसी आरक्षण	13
18	8.13	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्युएस)	14
19	9.0	क्षैतिज आरक्षण	14
20	10.0	भुतपूर्व सैनिक	15
21	11.0	बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्युबीडी)	16
22	11.7	स्क्राइब के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति समय	19
23	11.7.8	स्क्राइब के लिए पंजीकरण	20
24	12.0	वर्तमान नियोक्ता से एनओसी	21
25	13.0	भर्ती प्रक्रिया	22
26	14.0	आवेदन कैसे करें	24
27	14.2	एक खाता बनाएँ	24
28	14.3	आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश	24
29	14.4	आवेदन के दौरान उम्मीदवार की लाइव फोटो कैप्चरिंग	25
30	14.5	अनिवार्य स्कैन किए गए दस्तावेज़	25
31	14.6	स्क्राइब की सहायता	26
32	14.7	जमा किए गए आवेदन में संशोधन	28
33	15.0	कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी)	28
34	16.0	विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड और उनकी वेबसाइटों का विवरण	28
35	17.0	आवेदन में संशोधन	29
36	18.0	अमान्य आवेदन/अस्वीकृति	29
37	19.0	ई-बुलावा पत्र पर निर्देश	30
38	20.0	मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाण पत्रों का प्रारूप	30
39	21.0	अनुचित तरीकों का उपयोग	31
40	22.0	विविध	31
41	23.0	इस सीईएन में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप	32

अनुलग्नक-सूची

क्र.सं.	अनुलग्नक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	अनुलग्नक -A	पोस्ट पैरामीटर	57-59
2	अनुलग्नक -B	रेलवे भर्ती बोर्ड और ज़ोन के अनुसार रिक्तियां टेबल	60-66
3	अनुलग्नक -I	एससीएसटी उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप/	34
4	अनुलग्नक -II	ओबीसी (एनसीएल) प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप	35
5	अनुलग्नक -II A	ओबीसी) एनसीएल (उम्मीदवारों द्वारा स्वघोषणा-	36
6	अनुलग्नक -III	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्युएस)द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र	37
7	अनुलग्नक -III A	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों (ईबीसी)के लिए आय प्रमाण पत्र	38
8	अनुलग्नक -IV	दस्तावेज़ सत्यापन के समय अल्पसंख्यक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले परीक्षा शुल्क छूट के लिए प्रोफार्मा	39
9	अनुलग्नक -V (A)	फॉर्म – V दिव्यांगता का प्रमाण पत्र	40
10	अनुलग्नक-V (B)	दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (एकाधिक दिव्यांगता के मामले में)	41
11	अनुलग्नक-V (C)	दिव्यांगता का प्रमाण पत्र)फॉर्म V और VI में उल्लेखित मामलों के अलावा(	42
12	अनुलग्नक-V (D)	स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचन पत्र	43
13	अनुलग्नक-V (E)	आरपीडब्ल्युडी अधिनियम, 2016 की धारा)2S) की परिभाषा के तहत शामिल विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।	44
14	अनुलग्नक-V (F)	40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति द्वारा वचन पत्र।	45
15	अनुलग्नक-V (G)	एक परीक्षार्थी को लिखने में शारीरिक सीमा के संबंध में प्रमाण पत्र	46
16	अनुलग्नक-VI	भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ लेकर असैन्य रोजगार के संबंध में भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा	47
17	अनुलग्नक-VI(A)	नियोजित अधिकारियों(भुतपूर्व सैनिक) के लिए प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा	48
		पाठ्यक्रम	
18	अनुलग्नक -VII	कनिष्ठ अनुवादक हिंदी	46
19	अनुलग्नक -VIII	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	47
20	अनुलग्नक -IX	मुख्य विधि सहायक	48
21	अनुलग्नक -X	वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक	49
22	अनुलग्नक -XI	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III रसायनज्ञ और धातुकर्मी	50
23	अनुलग्नक -XII	लोक अभियोजक	51
24	अनुलग्नक -XIII	वैज्ञानिक सहायक(प्रशिक्षण)	52
25	अनुलग्नक -XIV	वैज्ञानिक पर्यवेक्षक/ एग्रोनॉमिक्स और प्रशिक्षण	56

भारत सरकार, रेल मंत्रालय,
रेलवे भर्ती बोर्ड

केंद्रीकृत रोज़गार सूचना संख्या सीईएन- 08/2025
आइसोलेटेड कोटियों के विभिन्न पदों के लिए भर्ती

महत्वपूर्ण दिनांक और समय

रोजगार समाचार में सांकेतिक सूचना की दिनांक	**20/12/2025**
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआती दिनांक और समय	**30/12/2025 (00:00 Hrs)**
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक और समय	**29/01/2026 (23:59 Hrs)**
जमा किए गए आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम दिनांक	**31/01/2026**
संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए संशोधन विण्डो की दिनांक (कृपया ध्यान दें: 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गये विस्तृत विवरण और 'चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड' में भरी गई जानकारी को बदला नहीं जा सकता)	**01/02/2026 to 10/02/2026**
वे दिनांक जिनके दौरान पात्र **स्क्राइब** उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल में अपने **स्क्राइब** का विवरण प्रदान करना होगा	**11/02/2026 to 15/02/2026**

कम्प्युटर आधारित परीक्षाओ की दिनांक और भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरणों की तारीखें इस नोटिस के पैरा- **16.0** में दी गई रेलवे भर्ती बोर्ड (रेलवे भर्ती बोर्ड) की अधिकारिक वेबसाइट्स पर समय-समय पर बताई जाएंगी।

रेलवे भर्ती बोर्ड, योग्य भारतीय नागरिकों और अन्य नागरिकों से, जैसा कि सीईएन के पैरा **4** में बताया गया है, भारतीय रेलवे के अलग-अलग ज़ोनल रेलवे और उत्पादन ईकाईयों में आइसोलेटेड कैटेगरी के अलग-अलग पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हैं। सभी तरह से पूरे आवेदन अपनी पसंद के रेलवे भर्ती बोर्ड को 29/01/2026 को **23.59** बजे तक ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए।

रिक्तियों का विवरण

क्र.सं.	पद	7वें CPC में वेतन स्तर	प्रारंभिक वेतन	चिकित्सा मानक	आयु (01-01-2026 को)	कुल रिक्तियां (सभी रेलवे भर्ती बोर्ड)
1	**मुख्य विधि सहायक**	लेवल 7	44900	सी 1	18-40 वर्ष	22
2	**लोक अभियोजक**	लेवल 7	44900	सी 1	18-32 वर्ष	07
3	**कनिष्ठ अनुवादक हिन्दी**	लेवल 6	35400	सी 2	18-33 वर्ष	202
4	**वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक**	लेवल 6	35400	सी 1	18-33 वर्ष	15
5	**कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक**	लेवल 6	35400	सी 1	18-33 वर्ष	24
6	**वेज्ञानिक सहायक प्रशिक्षक**	लेवल 6	35400	बी 1	18-35 वर्ष	02
7	**प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 रसायन एवं धातुकर्म**	लेवल 2	19900	बी 1	18-30 वर्ष	39
8	**वैज्ञानिक पर्यवेक्षक/ एग्रोनॉमिक्स और प्रशिक्षण**	लेवल 7	44900	बी 1	18-35 वर्ष	01
कुल योग (सभी रेलवे भर्ती बोर्ड)						312

रेलवे भर्ती बोर्ड और क्षेत्रीय रेलवे के अनुसार रिक्तियों का विस्तृत तालिका **अनुलग्नक B** में दिया गया है।

महत्वपूर्ण निर्देश- ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन जमा करना

1) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अन्तिम दिनांक (29/01/2026) तक उनके पास पद के लिए बताई गई सभी पात्रता शर्तें हों/पूरी करते हों। जो उम्मीदवार ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता के अंतिम परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके अंतिम परिणाम ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अन्तिम दिनांक के बाद घोषित होंगे, उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए, चूंकि वे आवेदन किए गए पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करते, इसलिए उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2) ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे भर्ती बोर्ड की अधकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध सीईएन में दिए गए संपूर्ण निर्देशों और सूचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ लें।

3) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल सीईएन के पैरा 16.0 में बताई गई रेलवे भर्ती बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट को ही देखें तथा फर्जी/नकली वेबसाइटों और जालसाजों/धोखेबाजों से बहुत सावधान रहें।

4) उम्मीदवारों के पास अपना **मोबाइल नंबर, वैध तथा सक्रिय ईमेल आईडी** होनी चाहिए और उसे **(मोबाईल नम्बर व ईमेल)** भर्ती प्रक्रिया की पूरी अवधि तक सक्रिय रखना चाहिए, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्डो द्वारा भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने तक भर्ती से सम्बन्धित प्रत्येक सूचना केवल एसएमएस तथा ईमेल से भेजी जाती है । रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किसी भी चरण पर **मोबाइल नंबर और ईमेल** बदलने की किसी भी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा । ऑनलाइन आवेदन के दौरान, उम्मीदवारों से 'खाता बनाएं' के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024/2025 में अधिसूचित किए गए सीईएन के लिए पहले ही खाता बना लिया है, तो उन्हें उसी खाता क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉग इन करना होगा और इस सीईएन के लिए भी आवेदन करना होगा । अगर उम्मीदवारों ने पहले खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले सबसे पहले 'खाता बनाना' होगा। उम्मीदवार को यह सलाह दी जाती है कि खाता बनाने के लिए आवश्यक विवरण अत्यन्त सावधानी से भरे, क्योंकि खाता बनाने के उपरान्त किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जायेगी । किसी भी चरण में फार्म में भरा गया विवरण (**मोबाइल नंबर और ईमेल** सहित) को एक बार खाता बनने के बाद किसी भी चरण पर बदला नहीं जा सकता।

5) आवेदन, पैरा 16.0 में सूचीबद्ध किए गए रेलवे भर्ती बोर्डों की वेबसाइटों के माध्यम से केवल ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए। चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए इस सीईएन में अधिसूचित सभी पदों के लिए केवल एक ही आवेदन जमा करना होगा। उम्मीदवार सिर्फ एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड को आवेदन कर सकेंगे। एक से अधिक रेलवे भर्ती बोर्डों के लिए आवेदन करने पर सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस सीईएन के अंतर्गत किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने का कोई भी प्रयास, उसे भर्ती प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किए जाने तथा रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की भविष्य की परीक्षाओं से वंचित किए जाने का कारण बनेगा।

6) ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भरने से पहले, इस विस्तृत सीईएन संख्या :07/2024 में अपनी पात्रता जानने के लिए उम्मीदवारों को पोस्ट पैरामीटर तालिका)अनुलग्नक–ए) और रिक्ति तालिका)अनुलग्नक-बी) को पढ़ना चाहिए और अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके बाद ही उम्मीदवारों को अपनी पात्रता के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन करना चाहिए और उस चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा अधिसूचित पद र रका विकल्प चुनना चाहिए। एक बा (पदों)ेलवे भर्ती बोर्ड का चयन करने के पश्चात उसे बदला नहीं जा सकता।

7) उम्मीदवारों की पात्रता पर विचार केवल ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही किया जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन का प्रिंटआउट, प्रमाण-पत्र अथवा उनकी प्रतियाँ संबंधित रेलवे भर्ती बोर्डो को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि भर्ती की किसी भी अवस्था में या उसके पश्चात यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी असत्य/गलत है, या उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई है, अथवा उम्मीदवार संबंधित पद/पदों के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है, तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।

8) उम्मीदवारों की पात्रता पर विचार ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अस्थायी रूप से किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड पात्रता के संबंध में आवेदनों की विस्तृत जाँच नहीं करेगा; अतः उम्मीदवारी केवल आवश्यक मूल पात्रता मानदंडों की पूर्ति के अधीन अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता, आयु, चिकित्सीय मानक आदि से संबंधित आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर स्वयं यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे संबंधित पद के लिए पात्र हैं।शैक्षणिक योग्यता, आयु/जाति/श्रेणी आदि के समर्थन में प्रमाण-पत्र/दस्तावेज़ों की जाँच दस्तावेज़ सत्यापन के समय रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, श्रेणी आदि से संबंधित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेज़ों की जाँच के उपरांत, यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाण-पत्रों/दस्तावेज़ों द्वारा सिद्ध नहीं होता, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, भर्ती की किसी भी अवस्था में अथवा उसके पश्चात यदि यह पाया जाता है कि उम्मीदवार से संबंधित कोई भी जानकारी असत्य/गलत है, या उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई है, अथवा उम्मीदवार संबंधित पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता/करती है, तो उसकी उम्मीदवारी तत्काल निरस्त कर दी जाएगी।

9) उम्मीदवार आवेदन के विवरणों में संशोधन कर सकते हैं (सिर्फ़ 'खाता बनाएँ' फ़ॉर्म में भरे गए विवरण और चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड को छोड़कर), भले ही आवेदन जमा कर दिया गया हो, लेकिन केवल आवेदन में सुधार के लिए संशोधन विंडो की अंतिम दिनांक तक, और संशोधन शुल्क का भुगतान करके। हालाँकि, आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए संशोधन विंडो की अंतिम दिनांक (10/02/2026) के बाद, रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी प्रकार की संशोधन संबंधी याचिका को स्वीकार नहीं करेगा।

10) उम्मीदवारों को अपनी स्वहित में सलाह दी जाती है कि वे **'खाता बनाएँ'** चरण में अपनी पहचान **डिजिलॉकर** या **आधार** का उपयोग करके प्रमाणित करें। यदि उन्होंने यह चरण छोड़ दिया, तो वे ऑनलाइन आवेदन विवरण भरने की प्रक्रिया के दौरान 'आधार सत्यापित करें' सुविधा का उपयोग करके अपनी आधार जानकारी प्रदान कर पहचान प्रमाणित कर सकते हैं। यह कार्य किसी विशेष सीईएन के लिए आवेदन की अंतिम प्रस्तुति से पहले पूरा करना आवश्यक है। इससे उम्मीदवारों के लिए भर्ती की विभिन्न अवस्थाओं में प्रक्रिया सुगम और सरल होगी। यदि आवेदक अपनी पहचान और अन्य प्राथमिक विवरण वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों के माध्यम से सत्यापित करते हैं, तो उन्हें भर्ती प्रक्रिया की प्रत्येक अवस्था में काफ़ी अधिक कड़ी और विस्तृत जाँच से गुजरना पड़ेगा।

11) उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके लिए तय चिकित्सा मानक को पूरा करते हों। उम्मीदवारों को यह ध्यान देना चाहिए कि अगर नियुक्ति के समय उम्मीदवार चुने गए पद के लिए चिकित्सा अनुपयुक्त पाया जाता है, तो उसे कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

12) केंद्र/शहर का आवंटन सीबीटी के लिए तकनीकी और तार्किक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा। उम्मीदवारों को सीबीटी में भाग लेने के लिए अन्य शहरों/राज्यों में यात्रा करनी पड़ सकती है। परीक्षा केंद्र परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध किसी भी परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

13) एससी/एसटी/ओबीसी/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ईबीसी स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क छूट, आरक्षण, आयु छूट आदि का दावा करने की महत्त्वपूर्ण दिनांक, जहाँ अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस सीईएन के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक होगी।

14) आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में अंतिम दिनांक से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन रजिस्टर करें और जमा करें, क्योंकि ऑनलाइन पंजीकरण के आखिरी दिनों में इंटरनेट या वेबसाइट पर भारी लोड के कारण संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर लॉग इन करने में असमर्थता/विफलता की संभावना हो सकती है।

उम्मीदवारों के लिए हेल्पलाइन: सीईएन 08/2025 के आवेदन जमा करने से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए
(सभी कार्य दिवसों में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)।
ईमेल: rrb.help@csc.gov.in, फ़ोन: 9592001188, 01725653333

उपरोक्त कारणों या किसी अन्य कारण से अंतिम दिन के भीतर पंजीकरण और/या अपना आवेदन जमा नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

महत्वपूर्ण निर्देश- परीक्षा प्रक्रियाएँ

1) **कदाचार:** यदि कोई भी उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया जाता है, परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेजता है, नाम बदलकर परीक्षा देने आता है, तो उसे रेलवे भर्ती बोर्ड / आरआरसी (रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ) की सभी परीक्षाओं में बैठने के लिए आजीवन वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में किसी भी प्रकार की नियुक्ति पाने से वंचित कर दिया जाएगा तथा यदि वह पहले से नियुक्त है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।[आपका ध्यान दिनांक 21.06.2024 से प्रभावी अधिनियम "सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित माध्यमों की रोकथाम हेतु) अधिनियम, 2024" की ओर आकर्षित किया जाता है], जो sansad.in > legislation > bills पर उपलब्ध है तथा भारत के राजपत्र में dopt.gov.in/whats-new पर भी उपलब्ध है।

2) **प्रतिबंधित सामग्री:** परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, घड़ी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा अन्य कोई संचार उपकरण तथा पेन/पेंसिल, बटुआ/पर्स, बेल्ट, जूते और धातु से बने पहनावे एवं आभूषण इत्यादि लाना सख्त मना है।उम्मीदवार द्वारा इन निर्देशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी तथा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रतिबंध लगाया जाना भी शामिल है। उम्मीदवारों को उन्हीं के हित में परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन सहित उपर्युक्त प्रतिबंधित वस्तुएँ साथ न लाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन्हें सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था का आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।

3) **परीक्षा के चरण** : एकल चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) होगा, उसके बाद अनुवाद परीक्षण (टीटी) (जैसा लागू हो) और उसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड कंप्यूटर आधारित परीक्षा को सिंगल या मल्टी चरण मोड में आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं।

4) **बुलावा पत्र**: उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक से शहर और दिनांक की सूचना, ई-बुलावा पत्र और यात्रा प्राधिकरण (जहां भी लागू हो) डाउनलोड करना होगा।

5) **विभिन्न चरणों के लिए शॉर्टलिस्टिंग:** दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों की रेलवे भर्ती बोर्ड-अनुसार शॉर्टलिस्टिंग कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर होगी। अनुवाद परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टिंग कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर रिक्तियों के 10 गुना तक होगी। ऐसे मामले में जहां एक से अधिक उम्मीदवार कट ऑफ प्वाइंट के बराबर अंक प्राप्त करते हैं, उन सभी को अनुवाद परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, भले ही अनुवाद परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या 10 गुना से अधिक हो जाए।

6) **नकारात्मक अंकन:** कंप्यूटर आधारित परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित **1/3 अंक** की कटौती की जाएगी।

7) परीक्षा केंद्रों पर सामान सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था शायद उपलब्ध न हो। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान/प्रतिबंधित की गई चीजें, जिसमें मोबाइल फोन आदि शामिल हैं, न लाएँ।

विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना

1.0 सामान्य निर्देश

1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश पूर्णतया अनंतिम होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

1.2 उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पैरा 14.4 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपनी लाइव फोटो और पैरा 14.5.1 में बताए गए मानक विनिर्देशों के अनुसार अपने खुद के **रनिंग हैंडराइटिंग में हस्ताक्षर** अपलोड करें। **धुंधली, पढ़ने में मुश्किल या गैर मानक फोटो और/या कैपिटल लेटर में किए गए हस्ताक्षर** वाले आवेदन को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर निरस्त किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया के सभी चरण पर और सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर एक जैसे और **रनिंग हैंडराइटिंग** में होने चाहिए, **कैपिटल लेटर में किया गया हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

1.3 दस्तावेज सत्यापन के समय, रेलवे भर्ती बोर्ड ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी को उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल सहायक दस्तावेजों से सत्यापित करेगा। आवेदन में बताई गई जानकारी और सहायक दस्तावेजों के बीच कोई भी गड़बड़ी या पात्रता मानदंड (जैसे शैक्षणिक योग्यता, उम्र, जाति/समुदाय, चिकित्सा मानक) को पूरा न करने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारिता निरस्त कर दी जाएगी। इसके अलावा, अगर भर्ती के किसी भी चरण पर या उसके बाद यह पता चलता है कि उम्मीदवार ने गलत जानकारी दी है या ज़रूरी तथ्यों को छिपाया है, तो उनका उम्मीदवारिता तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और अगर उन्हें नियुक्त किया गया है, तो ऐसे उम्मीदवार को तुरंत सेवा से हटा दिया जाएगा और साथ ही, ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की सभी भविष्य की परीक्षाओं से आजीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

1.4 इस अधिसूचना के तहत पद(पदों) के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि वे आयु, शैक्षिक योग्यता(योग्यताएं) और चिकित्सा मानदंडों सहित सभी पात्रता/मानदंडों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक यानी **29/01/2026** तक मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान/प्राधिकरण से अपेक्षित शैक्षिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यताएं हैं। जो लोग निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनके अंतिम परिणाम ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक के बाद घोषित किए जाएंगे, वे पात्र नहीं हैं और इसलिए उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।

1.5 जो उम्मीदवार इस सीईएन के लिए **एक से अधिक आवेदन** जमा करते हैं, उन्हें सीधे तौर पर रद्द कर दिया जाएगा और रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती सेल (रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ) की सभी भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, उन उम्मीदवारों के आवेदन जो एक से अधिक रेलवे भर्ती बोर्ड और/या एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए जानकारी और / या तथ्यों में मामूली बदलाव के साथ कई आवेदन जमा करने का प्रयास कर रहे हैं, को सीधे रद्द कर दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की सभी भविष्य की परीक्षाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा।

1.6 जिन अभ्यर्थियों को किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा जीवन भर के लिए या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, वंचित कर दिया गया है, उन्हें इस अधिसूचना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान पता चलने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों को भारत सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, वे पात्र नहीं हैं और उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।

1.7 उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में खाता बनाते समय अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म दिनांक वही डालनी चाहिए जो एसएससी/एसएसएलसी/मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा के परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी बराबर के प्रमाण पत्र में दर्ज हो।

क. अगर एसएससी/एसएसएलसी /मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में लिखे नाम में कोई बदलाव है, तो उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में सही जगह पर अपना बदला हुआ नाम और साथ ही अपना एसएससी/एसएसएलसी /मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा का नाम अलग-अलग बताना चाहिए। हालांकि, बाकी सभी जानकारी एसएससी/एसएसएलसी /मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा या समतुल्य प्रमाण पत्र के अनुसार होने चाहिए और इस तरह के बदलाव ऑनलाइन आवेदन

जमा करने की दिनांक से पहले के होनी चाहिए।

ख. ऐसे मामलों में, गैजेट नोटिफिकेशन या कोई दूसरा कानूनी दस्तावेज, जैसा भी लागू हो, बदले हुए नाम वाले किसी एक वैध फोटो आईडी के साथ, कंप्यूटर आधारित परीक्षा/कंप्यूटर आधारित परीक्षा अनुवाद परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन (दस्तावेज सत्यापन) के समय जमा करना होगा।

1.8 सीईएन में बताई गई रिक्तियां अस्थायी हैं और रेलवे प्रशासन की मूल ज़रूरतों के आधार पर बाद में उनमें कोई भी बदलाव (बढ़ोतरी/कमी) हो सकता है या वे कुल मिलाकर या विशेष रेलवे/इकाई/समुदाय/पदों में शून्य भी हो सकती हैं। साथ ही, अगर रेलवे कि आवश्यकता अनुसार बाद में भी अतिरिक्त पदों को भी शामिल की जा सकता हैं। रेलवे प्रशासन अपने विवेक से अधिसूचित रिक्तियां को रद्द करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है और यह फैसला अंतिम और सभी पर लागू होगा। अधिसूचित रिक्तियां रद्द होने की स्थिति में, उम्मीदवारों द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क वापस नहीं की जाएगी, सिवाय उन उम्मीदवारों के जिन्होंने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित हुए हो | धन वापसी के लिए पैरा 7.0 देखें।

1.9 **पद(पदों) और/या रेलवे/इकाई(ओं) के लिए वरीयता:** उम्मीदवारों द्वारा चयनित रेलवे भर्ती बोर्ड में वे विभिन्न पदों के लिए विकल्प, जिनके लिए वे पात्र हैं, ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान लिए जाएंगे।

भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने पर, रेलवे भर्ती बोर्ड केवल योग्य उम्मीदवारों के विकल्पों के अनुसार ही पद और रेलवे/इकाई का आवंटन करेगा, बशर्ते कि योग्यता, चिकित्सा मानक और रिक्तियों की स्थिति अनुरूप हो। एक बार उम्मीदवारों को उनकी योग्यता/विकल्प के अनुसार सूचीबद्ध कर दिया गया, तो वे किसी अन्य पद/श्रेणी के लिए विचार किए जाने का अधिकार खो देंगे।

जो उम्मीदवार आंशिक विकल्प भरते हैं, उन्हें केवल उनके द्वारा चुनी गई विशेष श्रेणियों के लिए ही माना जाएगा। कुछ पदों के लिए विकल्प न भरने को उनकी उस पद/श्रेणी के लिए अनिच्छा माना जाएगा।

हालाँकि, रेलवे भर्ती बोर्ड को प्रशासनिक हित में आवश्यक समझने पर उम्मीदवार द्वारा न चुने गए पद/रेलवे/इकाई का आवंटन करने का अधिकार भी सुरक्षित है, बशर्ते उम्मीदवार आवंटित पद की आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

1.10 रेलवे भर्ती बोर्ड, चयनित उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता है। रेलवे भर्ती बोर्ड का कार्य क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई के सक्षम प्राधिकारी को उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की अनुशंसा करना है, जो रिक्तियों की उपलब्धता और पूर्ववृत्त और चरित्र सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाते है |

1.11 चयनित उम्मीदवारों को जहां भी निर्धारित हो, उन मामलों में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान यथा लागू स्टाइपेन्ड का भुगतान किया जाएगा।

1.12 चयनित उम्मीदवारों को रेलवे में नियुक्त होने के समय जहां भी आवश्यक हो, प्रतिभूति बॉन्ड और/या क्षतिपूर्ति बॉन्ड निष्पादित करना होगा।

1.13 सामान्यतया, रेलवे कर्मचारी को पूरी सेवा के दौरान रेलवे या रेलवे प्रतिष्ठान में नियोजित किया जाएगा जिसमें उसे पहली नियुक्ति पर तैनात किया गया है और उसके पास किसी अन्य रेलवे या किसी अन्य प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं होगा। हालाँकि, एक सक्षम प्राधिकारी सेवा की अत्यावश्यकताओं में रेलवे कर्मचारी को किसी अन्य विभाग या रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित कर सकता है, जिसमें भारत के अंदर या बाहर एक परियोजना भी शामिल है। जब तक नव नियुक्त उम्मीदवार के बीच 5 से 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर लेता, तब तक अन्य रेलवे में स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध पंजीकृत नहीं किया जाएगा। इस प्रकार उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी और विचार-विमर्श के साथ अपना रेलवे भर्ती बोर्ड चुनें।

1.14 अंतिम रूप से नियुक्त किए जाने वाले चयनित उम्मीदवार प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स इकाई में सक्रिय सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

1.15 एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क शयनयान श्रेणी रेलवे पास स्वीकार्य है। एससी/एसटी उम्मीदवार जो मुफ्त यात्रा प्राधिकरण का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में संबंधित कॉलम में 'हां' बताना होगा और वैध जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों के लिए, फ्री शयनयान श्रेणी रेलवे पास ई-बुलावा पत्र का एक हिस्सा होगा जब उन्हें भर्ती के विभिन्न चरणों के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, अनुवाद परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन आदि, जैसा कि ऑनलाइन आवेदन में दी गई और अपलोड की गई जानकारी के अनुसार है। निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम दें, अन्यथा उनका यात्रा प्राधिकरण यात्रा और आरक्षण प्राप्त करने के लिए मान्य नहीं हो सकता है।

आरक्षण प्राप्त करने और यात्रा के समय, आरक्षण क्लर्क और/या टिकट चेकिंग स्टाफ उम्मीदवार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए मूल एससी/एसटी समुदाय प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। इस यात्रा प्राधिकार के दुरुपयोग किए जाने वाले किसी प्रयास के परिणामस्वरूप, उम्मीदवर को रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की होने वाली परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रतिबंधित किए जाने के साथ साथ चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

रेलवे भर्ती बोर्ड सीईएन के तहत भर्ती के नियमों और शर्तों में किसी भी बाद के बदलाव/संशोधन/संवर्धन समावेश करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जैसा कि आवश्यक हो और किसी भी स्तर पर लागू हो।

1.16 रेलवे भर्ती बोर्ड, उम्मीदवारों की सहमति से, इस भर्ती में प्राप्त उनके अंक (अंक) अपनी भर्ती के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी संगठनों के साथ साझा कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में इसके लिए अपनी सहमति/इनकार का उल्लेख करना चाहिए।

"यदि कोई उम्मीदवार अपनी प्रारंभिक चिकित्सा जांच के दौरान पद (पदों) के लिए आवश्यक चिकित्सा मानकों को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो वह उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में इसके लिए अपनी सहमति/अस्वीकृति बतानी होगी।

2.0 रिक्तियाँ

2.1 इस सीईएन में शामिल विभिन्न पदों के पोस्ट पैरामीटर (वेतन, न्यूनतम/अधिकतम आयु, योग्यता, चिकित्सा मानक और पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता आदि) **अनुलग्नक-ए** में दिए गए हैं।

2.2 एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भुतपूर्व सैनिक और पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिक्तियों के आरक्षण सहित सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे/इकाई और पदवार रिक्तियां **अनुलग्नक-बी** में दी गई हैं। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि ये रिक्तियां रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं (कृपया सामान्य निर्देश का **पैरा 1.8** देखें)।

3.0 पदों के लिए चिकित्सा मानक

दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षा पास करना होगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार उनके द्वारा चुने गए पद से जुड़े कर्तव्यों को पूरा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से योग्य हैं। दृश्य तीक्ष्णता मानक रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा योग्यता के महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है।

क्र.स.	चिकित्सा मानक	सामान्य फिटनेस	दृश्य तीक्ष्णता
1	बी 1	शारीरिक तौर पर पूर्णत: स्वस्थ	दूर की दृष्टि: 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के (लेंस की क्षमता 4डी से अधिक नहीं) निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या उसके बिना जब पढ़ने या पास का काम करना हो और कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, नाइट विज़न, मेसोपिक विज़न इत्यादि टेस्ट पास करने होंगे।
2	सी-1	शारीरिक तौर पर पूर्णत: स्वस्थ	दूर की दृष्टि: 6/12, 6/18 चश्मे के साथ या बिना। निकट दृष्टि: एसएन: 0.6, 0.6 जब पढ़ने या करीबी काम की आवश्यकता हो तो चश्मे के साथ या बिना।
3	सी-2	शारीरिक तौर पर पूर्णत: स्वस्थ	दूर की दृष्टि: 6/12, चश्मे के साथ या उसके बिना कुछ नहीं , निकट दृष्टि: एसएन: 0.6 संयुक्त रूप से चश्मे के साथ या उसके बिना, जहां पढ़ने या करीबी काम की आवश्यकता होती है

चिकित्सा मानक निम्नलिखित है:-

ध्यान दें:- लेसिक सर्जरी वाले उम्मीदवार निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर चिकित्सा मानक बी-1 के लिए पात्र हो सकते है:

1) उम्मीदवार में लेसिक सर्जरी से संबंधित कोई जटिलताएं नहीं पाई जाती हैं। 2) लेसिक सर्जरी कम से कम एक वर्ष की अवधि की होनी चाहिए, जहां से उम्मीदवार ने अपनी सर्जरी करवाई है उस संस्थान के विशेषज्ञ द्वारा जारी प्रमाण पत्र से इसकी पुष्टि होनी चाहिए| 3) लेसिक सर्जरी के बाद " Residual Corneal Thickness " पचीमेट्री (Pachymetry) पर 425 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए।

4) दृश्य तीक्ष्णता आईआरएमएम, तृतीय संस्करण 2000 के खंड-I के पैरा 512(1) (ए) के अनुसार होनी चाहिए । 5) फंडस सामान्य होना चाहिए।

6) बढ़ने वाले नेत्र रोग (progressive Eye disease) का कोई लक्षण नहीं होना चाहिए।

<u>भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड I के पैरा 534</u> , के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए चिकित्सा मानक लागू होंगे, जिन्हे www.Indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/codesmanual/MMVol-I/chapter5.pdf पर देखा जा सकता है।

भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल (IRMM) खंड I के पैरा 511 (7) के अनुसार पीडब्लुबीडी के लिए चिकित्सा मानक लागू होंगे जिन्हे www. Indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/codesmanual/MMVol-I/chapter5.pdf पर देखा जा सकता है।

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे अपने द्वारा चुने गए पद(पदों) के लिए चिकित्सा मानकों के अनुसार पात्र हैं। यदि उम्मीदवार चुने गए पदों के लिए निर्धारित चिकित्सा उपयुक्तता पास करने में विफल रहता है, तो उसे उस पद के लिए पैनल में शामिल करने पर विचार नहीं किया जाएगा और वैकल्पिक नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी।

ऊपर दिए गए चिकित्सा मानक सिर्फ़ संकेत के लिए हैं, पूरी जानकारी नहीं हैं और आम तौर पर सभी उम्मीदवारों पर लागू होते हैं। उम्मीदवारों को इंडियन रेलवे चिकित्सा मैनुअल वॉल्यूम-I के चैप्टर 5 (और अगर कोई सुधार हो तो उसे भी) पढ़ने की सलाह दी जाती है, जिसे www.indianrailways.gov.in पर भी देखा जा सकता है।

"अगर कोई उम्मीदवार अपनी शुरुआती चिकित्सा जांच के दौरान पद के लिए ज़रूरी चिकित्सा मानक पूरे नहीं कर पाता है, तो उसे तय शर्तों के साथ, तय शुल्क का भुगतान करके चिकित्सा अपील करने का एक मौका दिया जाएगा| जिन उम्मीदवारों ने तय समय के अंदर चिकित्सा अपील का विकल्प चुना है, अपील में चिकित्सा परीक्षण का नतीजा अंतिम और उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा। जिन उम्मीदवारों ने तय समय के अंदर चिकित्सा अपील का विकल्प नहीं चुना है, उनकी शुरुआती चिकित्सा जांच के नतीजे पर ही विचार किया जाएगा।

4.0 राष्ट्रीयता/नागरिकता

4.1 उम्मीदवार निम्नलिखित मे से कोई एक होना चाहिए:

क. भारत का नागरिक, या

ख. नेपाल का मूल निवासी, या

ग. भूटान का मूल निवासी, या

घ. तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य से आया है, या

ङ. भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से आकर भारत में स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य से आया है।

च. यदि उपरोक्त श्रेणियों (ख), (ग), (घ) और (ङ) से संबंधित उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

4.2.1 उम्मीदवार, जिसके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है, अस्थायी रूप से परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र को दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, और यदि ऐसा नहीं किया गया, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

5.0 आयु सीमा एवं विवरण

5.1 रिक्ति सारणी में पदों के लिए निर्धारित **न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा** 01/01/2026 के अनुसार मानी जाएगी।

5.2 विभिन्न आयु वर्गों के लिए उम्मीदवारों की **जन्म दिनांक** अथवा नीचे दिए गए दिनांकों के बीच होनी चाहिए (दोनों दिनांक शामिल हैं)

आयु वर्ग (न्यूनतम आयु - अधिकतम आयु) जैसा कि अनुलग्नक-ए में पोस्ट पैरामीटर में उल्लेखित है	01.01.2026 को ऊपरी आयु सीमा (जन्मदिनांक इससे पहले नहीं)			01.01.2026 को कम आयु सीमा (इसके बाद जन्म न हुआ हो)
	अनारक्षित और आर्थित रूप से कमजोर वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	अनुसूचित जाति/जनजाति	सभी समुदाय एवं श्रेणी के लिए
18 to 30 वर्ष	**02/01/1996**	**02/01/1993**	**02/01/1991**	**01/01/2008**
18 to 32 वर्ष	**02/01/1994**	**02/01/1991**	**02/01/1989**	
18 to 33 वर्ष	**02/01/1993**	**02/01/1990**	**02/01/1988**	
18 to 35 वर्ष	**02/01/1991**	**02/01/1988**	**02/01/1986**	
18 to 40 वर्ष	**02/01/1986**	**02/01/1983**	**02/01/1981**	

5.3 ऊपरी आयु सीमा/अधिकतम ऊपरी आयु सीमा में नीचे दी गई तालिका के अनुसार विभिन्न कोटियों/समुदायों को उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर छूट प्रदान की जाएगी|

क्र.स.	**समुदाय/श्रेणियाँ**	**समुदाय**	**आयु में छूट (ऊपरी आयु सीमा से परे) या अधिकतम ऊपरी आयु**
1	अनुसूचित जाति एवं जनजाति(एससी और एसटी)	--	5 वर्ष
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर)	--	3 वर्ष
3	भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सत्यापन के बाद 6 महीने से	अनारक्षित और आर्थिक	3 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)

	अधिक की सेवा पूरी कर ली हो।	रूप से कमजोर वर्ग	
		ओबीसी (एनसीएल)	6 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
		एससी और एसटी	8 वर्ष (आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद)
4	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्लुबीडी)	अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 वर्ष
		ओबीसी (एनसीएल)	13 वर्ष
		एससी और एसटी	15 वर्ष
5	वे उम्मीदवार जो रेलवे कर्मचारी के रूप मे समूह ग्रुप 'ग' और पूर्ववर्ती ग्रुप 'घ' एवं आकस्मिक श्रमिक तथा एवजी पदों पर न्यूनतम तीन वर्ष (निरंतर अथवा खंडित भागों में) कार्यरत है।	अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	40 वर्ष की उम्र
		ओबीसी (एनसीएल)	43 वर्ष की उम्र
		एससी और एसटी	45 वर्ष की उम्र
6	रेलवे के अर्ध-प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों एंव संस्थान में काम करने वाले उम्मीदवार।	-	प्रदान की गई सेवा की अवधि या 5 वर्ष जो भी कम हो।
7	महिला उम्मीदवार, जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, या न्यायिक रूप से पति से अलग हैं लेकिन पुनर्विवाह नहीं किया है।	अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	35 वर्ष की उम्र
		ओबीसी (एनसीएल)	38 वर्ष की उम्र
		एससी और एसटी	40 वर्ष की उम्र

5.4 अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

5.5 अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को केवल उपयुक्तता की शर्तों के अधीन अनारक्षित पीडब्ल्यूबीडी के लिए लागू आयु में छूट दी जाएगी।

5.6 यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो उसे अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी जिसके लिए वह पात्र है।

5.7 उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि इस आवेदन में भरी गई जन्मदिनांक वही होनी चाहिए जो मैट्रिकुलेशन/एसएसएलसी या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है। इसके परिवर्तन के लिए किसी भी आगामी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।जन्म दिनांक में कोई भी अंतर होने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

6.0 शैक्षिक योग्यताएँ

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक यानी 29/01/2026 तक उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान/प्राधिकरण से इस सीईएन के अनुलग्नक-ए में पदों के लिए विनिर्दिष्ट अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यता होनी चाहिए। जो लोग निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनके अंतिम परिणाम ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक के बाद घोषित किए जाएंगे, उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।

नोट:- शैक्षणिक/तकनीकी/व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्रों, जैसे कि अनंतिम या नियमित प्रमाण पत्र में जारी होने की दिनांक होनी चाहिए। अगर इन प्रमाण पत्र को जारी करने की दिनांक अधिसूचना की आखिरी दिनांक के बाद की है, तो अंतिम योग्यता परीक्षा के नतीजे की घोषणा की दिनांक वाली समेकित अंकतालिका या सभी सेमेस्टर/वर्षों की अलग-अलग अंकतालिका, जिसमें हर सेमेस्टर/वर्ष के नतीजे की घोषणा की दिनांक हो, जमा करनी होगी। अगर इनमें से किसी भी प्रमाण पत्र में दिनांक नहीं है, तो दस्तावेज सत्यापन के समय बोर्ड/ विश्वविद्यालय से नतीजे की घोषणा की दिनांक वाला एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7.0 परीक्षा शुल्क

इस सीईएन में पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नीचे दी गई उनकी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा:

क्र.सं.	अभ्यर्थियों की श्रेणियाँ/समुदाय	शुल्क (रु.)
1	नीचे क्रम संख्या 2 में उल्लेखित शुल्क रियायत श्रेणियों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के लिए 500/- रुपये के इस शुल्क में से 400/- रुपये की राशि, प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित होने पर, बैंक शुल्क काटकर उचित समय पर वापस कर दी जाएगी।	500/-

2	पीडब्ल्युबीडी/महिला/ट्रांसजेंडर/भुतपूर्व-सैनिक उम्मीदवारों और एससी/एसटी/अल्पसंख्यक समुदाय/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए। **(उम्मीदवारों के लिए सावधानी: ईबीसी को ओबीसी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए)** (250/- रुपये का यह शुल्क प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क में कटौती करके उचित समय पर वापस कर दिया जाएगा।)	250/-
नोट: केवल प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को ही ऊपर बताए अनुसार उनके परीक्षा शुल्क का धन वापसी मिलेगा।		

7.1 शुल्क के भुगतान के तरीके

क. केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क भुगतान स्वीकार किया जाएगा। सभी लागू सेवा शुल्क उम्मीदवार द्वारा वहन किए जाएंगे।

ख. उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल **ऑनलाइन मोड** के माध्यम से किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं होगा।

ग. निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और सीधे ही रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.2 अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी शामिल हैं, जो इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक तक प्राप्त संशोधन/विलोपन/समावेशन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। परीक्षा शुल्क में छूट का लाभ लेने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे उपरोक्त अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी एक से संबंधित हैं, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

7.3 **आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी)** उम्मीदवार **वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹50,000/- से कम है** और रियायती शुल्क के लिए पात्र हैं (उपरोक्त पैरा 7.0 के अनुसार), इसके लिए उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए:

क. जारीकर्ता प्राधिकारी के लेटरहेड पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-III(ए) के अनुसार) में आवेदन की दिनांक पर वैध आय प्रमाण पत्र। निम्नलिखित प्राधिकरण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी।
2) अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के वर्तमान संसद सदस्य।
3) राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य उस जिले के व्यक्तियों के लिए जहां ये सांसद सामान्यतः रहते हैं।
4) देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति के लिए केंद्रीय मंत्री।

(या)

ख. किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या कोई अन्य प्रमाण पत्र।

(या)

ग. रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी.

सभी ईबीसी उम्मीदवार जो रियायती शुल्क चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध ईबीसी प्रमाण पत्र/बीपीएल कार्ड/ इज्जत एमएसटी के प्रासंगिक विवरण भरने चाहिए और दस्तावेज सत्यापन के समय इसे मूल रूप में भी जमा करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

नोट: आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक ही नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग श्रेणियां हैं | इस अनुच्छेद के तहत परिभाषित आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) का उम्मीदवार केवल शुल्क में छूट का हकदार है, नौकरी में आरक्षण का नहीं।

7.4 ऑनलाइन भुगतान (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई) के मामले में, उम्मीदवारों को यह पुष्टि करनी चाहिए कि क्या वे प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेने पर परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य शुल्क (400/- या 250/- रुपये, जैसा लागू हो) उस खाते में प्राप्त करना चाहते हैं जिससे उन्होंने भुगतान किया है या वैकल्पिक रूप से लाभार्थी खाता प्रदान करें जिसमें वे धन वापसी प्राप्त करना चाहते हैं,जैसे- लाभार्थी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम और उसका आईएफएससी कोड। परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य भाग यथा लागू बैंक शुल्क काटकर वापस कर दिया जाएगा।

7.5 **सही बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर है और रेलवे भर्ती बोर्ड इस आधार पर उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं करेगा।**

7.6 **जिन उम्मीदवारों का आवेदन अधूरा है या जिन्होंने अपना आवेदन जमा नहीं किया है या जिनका आवेदन खारिज कर दिया गया है, उनके द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।**

8.0 ऊर्ध्वाधर (वर्टीकल) आरक्षण

8.1 यह सीईएन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) (ओबीसी-एनसीएल) के लिए ऊर्ध्वाधर(वर्टीकल) आरक्षण प्रदान करता है, जहां भी लागू और स्वीकार्य है, और मौजूदा नियमों के तहत माँगकर्ता रेलवे द्वारा सूचित किया गया है। (रिक्ति तालिका में विवरण देखें।)

टिप्पणी:

- **आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग** (ईडब्ल्यूएस) **और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) एक ही नहीं बल्कि तीन अलग-अलग श्रेणियां हैं।**
- **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार जहां भी लागू और स्वीकार्य हो, नौकरी आरक्षण के लिए पात्र हैं।**
- **आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) का उम्मीदवार (ऊपर पैरा 7.3 के तहत परिभाषित) इस आधार पर नौकरी में आरक्षण का हकदार नहीं है।**

8.2 समुदाय की परवाह किए बिना सभी उम्मीदवारों को सामान्य यानी अनारक्षित (अनारक्षित) रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा (अनारक्षित के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन)। हालाँकि, विशिष्ट समूहों (जैसे, एससी, एसटी, ओबीसी (एनसीएल) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल उस समुदाय/श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी। **केवल वे समुदाय जो भारत सरकार द्वारा एससी, एसटी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, आरक्षण के लिए पात्र हैं।**

8.3 आरक्षण का लाभ उठाने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र (मूल रूप में) प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुलग्नक -I एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए, अनुलग्नक- II (ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए) और अनुलग्नक- III (ईडब्ल्यूएस) में दिए गए प्रारूप के अनुसार जारी किए जाने चाहिए।

8.4 **"क्रीमी लेयर" में आने वाले ओबीसी उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं,** उन्हें अनारक्षित (अनारक्षित) उम्मीदवारों के रूप में माना जायेगा, जो अनारक्षित उम्मीदवारों पर लागू आवश्यक पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन है।

8.5 **अन्य पिछड़ा वर्ग – नॉन क्रीमी लेयर** के उम्मीदवारों के जाति प्रमाणपत्र में यह विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि - वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना -की अनुसूची के कॉलम (एससीटी)3 को भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.09.2017* के संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना द्वारा संशोधित किए जाने के बाद तथा इस केंद्रीकृत रोजगार (रे) सूचना की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त आगामी संशोधनों, यदि कोई हों, के बाद भी उल्लिखित व्यक्तियों वर्गों/ में सम्मिलित नहीं है। (क्रीमी लेयर)

8.6 ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि "यह प्रमाणित करने के लिए है कि वह भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ओएम संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 08/09/93 और भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ओएम द्वारा संशोधित अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लेखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है। क्रमांक 36033/1/2013-स्था.(Res.) दिनांक 13/09/2017*'' (*आगे संशोधन यदि कोई हो, इस सीईएन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक तक प्राप्त हुआ हो)।

8.7 कृपया ध्यान दें: ओबीसी राज्य सूची में मौजूद हैं लेकिन ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल नहीं हैं (http://www.ncbc.nic.in की नवीनतम सूची के अनुसार) आरक्षण का दावा करने के लिए पात्र नहीं हैं।

8.8 माननीय सुप्रीम कोर्ट के डब्ल्युपी(सी)नं. 1052/2021 में सुनील कुमार राय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य के बीच 21.02.2022 के फैसले के आलोक में, जो उम्मीदवार (ए) मूल रूप से लोहार/लोहारा/लोहरा जाति के हैं, और (बी) बिहार राज्य के हैं या बिहार राज्य से अस्थायी/स्थायी रूप से केवल अन्य राज्यों में चले गए हैं, उन्हें अपना नवीनतम जाति प्रमाण पत्र (जो (ए) एसटी का दावा करने के लिए सीईएन के अनुलग्नक I के अनुसार बिहार सरकार के फॉर्म -II के पिछले संदर्भ के साथ, या (बी) ओबीसी-एनसीएल का दावा करने के लिए सीईएन के अनुलग्नक II के अनुसार बिहार सरकार के फॉर्म - VIIA के पिछले संदर्भ के साथ) जमा करना होगा, जो केवल 01.04.2023 के बाद जारी किया गया हो और यह ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक पर भी वैध होना चाहिए, ताकि दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान आवेदन पत्र में बताए अनुसार एसटी / ओबीसी-एनसीएल के रूप में उनके दावे को प्रमाणित किया जा सके।

8.9 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में: डॉ. भीमराव अंबेडकर विचार मंच, बिहार, पटना और बिहार राज्य और अन्य के बीच 2017 की सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपील संख्या 18802, निर्णय दिनांक 15.07.2024, जिन उम्मीदवारों के पास माननीय

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पहले जारी एसटी/एससी का सामुदायिक प्रमाण पत्र है और (ए) मूल रूप से पान/पनहर/स्वासी/तांती-ततवा (PAN/ PANR/ SAWASI/ TANTI-TATWA) से संबंधित हैं। तांती-ततवा जाति मूल रूप से, और (बी) बिहार राज्य से संबंधित है या अस्थायी रूप से / स्थायी रूप से बिहार राज्य से केवल अन्य राज्यों में स्थानांतरित हो गई है, उन्हें नवीनतम जाति प्रमाण पत्र का विवरण अपलोड करना चाहिए जो 01.09.2024 को या उसके बाद जारी किया गया है, जिसमें उनके समुदाय और जाति को विधिवत संशोधित / जोड़ा गया है। उनके समुदाय और जाति/जनजाति को उनकी संशोधित जाति/समुदाय के अनुसार भर्ती के लिए माना जाएगा, इन उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से नया जाति प्रमाण पत्र लाना होगा जो दस्तावेज़ सत्यापन के समय 01.09.2024 को या उसके बाद लिया गया हो, अन्यथा, उनकी उम्मीदवारी को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा।

8.10 महत्वपूर्ण: किसी उम्मीदवार की समुदाय या श्रेणी की स्थिति, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में घोषित किया गया है, आरक्षण लाभ के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करेगी। किसी भी कारण से सामुदायिक स्थिति में बाद में होने वाले किसी भी बदलाव को इस भर्ती प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी।

8.11 यह सुनिश्चित करना उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे जिस आरक्षण का दावा करते हैं उसके लिए पात्र हैं। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेजों की प्रामाणिकता सत्यापित होने तक उनकी उम्मीदवारी अनंतिम रहेगी।

8.12 उम्मीदवारों को सावधान किया जाता है कि यदि किसी भी स्तर पर एससी/एसटी/ओबीसी/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग स्थिति का कोई धोखाधड़ीपूर्ण दावा या किसी अन्य लाभ का दुरुपयोग सामने आता है तो उनकी उम्मीदवारी या नियुक्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी। इस तरह की कार्रवाइयों से सभी रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ परीक्षाओं से स्थायी रूप से वंचित कर दिया जाएगा और कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है।

8.13 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण

वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल के लिए आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें EWS के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु EWS के रूप में पहचाना जाएगा। इस आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोत अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से होने वाली आय भी शामिल होगी। इस सीईएन संख्या 08/2025 के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 होगा क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि 29.01.2026 है। इसके अलावा, जिन अन्यथा परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, वह पारिवारिक आय की परवाह किए बिना EWS के रूप में पहचान से बाहर रखा जाएगा:

i. 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
ii. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्गगज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्गगज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

EWS स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परिक्षण लागू करते समय एक परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थान/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए परिवार शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे। EWS के तहत आरक्षण का लाभ केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण प्रस्तुत करने पर प्राप्त किया जा सकता है। अनुलग्नक III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में जारी आय और संपत्ति प्रमाण केवल EWS से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

क. जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त

ख. मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो

ग. उस क्षेत्र का उपविभागीय अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित स्थिति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस सीईएन के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तदनुसार, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रमाण पत्र संख्या, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जारी करने वाला प्राधिकारी, जिला और राज्य भरना होगा। इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, EWS के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर

विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारीआवेदन/, यदि वे सामान्य (UR) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (UR) स्थिति के तहत विचार किया जाएगा।

9.0 क्षैतिज आरक्षण

9.1 यह सीईएन पूर्वसैनिक और पीडब्ल्यूबीडी के लिए चाहे (एएसएसएम) वे किसी भी समुदाय से हो, क्षैतिज आरक्षण भी प्रदान करता है।

9.2 रिक्ति तालिका में दर्शाई गई कुल रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं। हालाँकि, जहां दिव्यांग के लिए रिक्तियों को बैकलॉग रिक्तियों के रूप में अलग (समुदाय के किसी भी संकेत के बिना) से दिखाया गया है, ये अतीत के बैकलॉग रिक्तियां हैं और इस सीईएन में दर्शाई गई नियमित सामुदायिक रिक्तियों में शामिल नहीं हैं।

9.3 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार किसी भी पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं हैं। वे इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु सीमा में छूट और शुल्क में छूट के पात्र होंगे।

9.4 इसी प्रकार, दिव्यांग उम्मीदवार किसी पद की नियमित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही उस पद के लिए उनके लिए कोई विशेष रिक्तियां आरक्षित न हो, बशर्ते वह पद उनकी विकलांगता के लिए उपयुक्त हो। ऐसे मामलों में, वे केवल आयु में छूट और शुल्क में छूट के लिए ही पात्र रहेंगे।

9.5 यदि दिव्यांगता की उस श्रेणी के तहत उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से दिव्यांग (PwBD) के लिए आरक्षित रिक्तियां नहीं भारी जा सकती हैं, तो एसी रिक्तियां नहीं भारी जाएंगी और उन्हें बैकलॉग रिक्ति के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।

9.6 यदि नियमित PwBD पदों को उन उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण, जिनके लिए ये पद आरक्षित हैं, अथवा किसी अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जा सकता है, तो ऐसे पद रिक्त ही रखे जाएंगे और अगले भर्ती चक्र में इन्हें बैकलॉग पद के रूप में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

9.7 हालाँकि, सीईएन में निर्दिष्ट बैकलॉग PwBD पदों के संबंध में, यदि उन विशिष्ट विकलांगताओं के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं जिनके लिए पद आरक्षित हैं, तो ऐसे पद उन अन्य विकलांगताओं वाले उम्मीदवारों से भरे जा सकते हैं जिनके लिए पद उपयुक्त घोषित किया गया है। यदि किसी भी ऐसी विकलांगता वाले PwBD उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते, जिनके लिए पद उपयुक्त माना गया है, तो ये पद मेरिट क्रम के अनुसार सामान्य (PwBD नहीं) उम्मीदवारों से भरे जाएंगे।

10.0 भुतपूर्व सैनिक

10.1 भूतपूर्व सैनिक शब्द का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी रैंक (चाहे लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में) में सेवा की हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना और अर्धसैनिक बल सेवा की हो।

तथा

क. जो या तो सेवानिवृत्त हो गया है या सेवामुक्त हो गया है, चाहे वह उसके स्वयं के अनुरोध पर हो या नियोक्ता द्वारा उसकी पेंशन अर्जित करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो;(या)

ख. जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन से सम्मानित किया गया है; (या)

ग. जिसे स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है; (या)

घ. जिसे नियुक्ति की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद, उनके स्वयं के अनुरोध के अलावा, या कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या सेवामुक्ति के माध्यम से ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया हो और जिसे ग्रेच्युटी दी गई हो और जिसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात्, निरंतर सेवा या योग्यता सेवा के खंडित अवधि के लिए पेंशन धारक; (या)

ङ. सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापसी के बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त किए गए हैं उनके नियंत्रण से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई; (या)

च. वे कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पूर्व छह माह से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर रहे हों; (या)

छ. प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; (या)

ज. चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त या सेवामुक्त किए गए भूतपूर्व भर्ती कर्मी जिन्हें 01.02.2006 से चिकित्सा दिव्यांगता पेंशन प्रदान की गई है।

10.2 केंद्र सरकार की संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत वे व्यक्ति, जो सेवानिवृत्ति के बाद भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आते हैं, नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र हैं और भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को तब तक वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं होगी जब तक वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर लेते। तदनुसार, ऐसे सेवारत रक्षा कर्मी, जो इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर सेवामुक्त हो जाते हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रिक्तियों और उनके लिए आरक्षित नहीं किए गए ,दोनों पदों के लिए। यदि भर्ती प्रक्रिया में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक समय लगता है, तो उम्मीदवार को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा कि वह स्वयं इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष बाद सशस्त्र बलों से सेवामुक्त हुआ है, अर्थात, दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि तक, जिसके लिए उसे शॉर्टलिस्ट किया गया है, उस पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि, उनके पास इस सीईएन के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यताएँ होनी चाहिए।

जब आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से चयन प्रक्रिया में एक वर्ष से अधिक समय लगता है, तो उम्मीदवार को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष बाद सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्राप्त की है। दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि तक, जिसके लिए उसे शॉर्टलिस्ट किया गया है, उस पर विचार किया जा सकता है

10.3 सशस्त्र सेवा कार्मिक जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक सशस्त्र बलों में सेवारत रहे हैं, उन्हें अनुलग्नक VI (ए) के अनुसार "सेवा से सेवामुक्ति की संभावित तिथि सहित रोजगार प्रमाण पत्र" जमा करना होगा, जो इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्य है। इसके अलावा, पूर्व सैनिक आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए, दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी को अनुलग्नक VI के अनुसार एक स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10.4 भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभों का लाभ उठाने के बाद केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' और पूर्ववर्ती समूह 'घ' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में पहले ही सिविल रोजगार प्राप्त कर लिया है, उन्हें केंद्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग'/पूर्ववर्ती समूह 'घ' में उच्च ग्रेड या संवर्ग में एक और सिविल रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में केवल छूट का लाभ मिलेगा। ऐसे उम्मीदवारों को केंद्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

10.5 यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल नौकरी में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी आगामी नौकरी के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है, बशर्ते कि भूतपूर्व सैनिक किसी भी सिविल नौकरी में शामिल होते ही, इस रोजगार सूचना के अंतर्गत आवेदन के विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचनपत्र दे। इस घोषणा की पावती प्रति, सिविल नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत की जानी चाहिए, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और जहाँ भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू होता है।

10.6 भूतपूर्व सैनिकों का चिकित्सा मानक भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड-1 के पैरा 534 के अनुसार होगा, जिसे **www.indianrailways.gov.in** पर देखा जा सकता है।

11.0 मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्ति) पीडब्ल्यूबीडी)

11.1 प्रत्येक पद के सामने, "मानक (बेंचमार्क) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता" कॉलम के अंतर्गत, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अन्यथा को दर्शाया गया है, जिसमें पद पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक-ए) में उप दिव्यांगता का विवरण दिया गया है।

मानक (बेंचमार्क) दिव्यांगता:दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार) आरपीडब्ल्यूडी (अधिनियम, 2016) 19 अप्रैल, 2017 से प्रभावी के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांगताएं निम्नानुसार हैं-:

क. अंधापन और कम दृष्टि(वीआई) ;

ख. बधिर और कम सुनने की क्षमता(एचआई)

ग. मस्तिष्क पक्षाघात(एलडी), ठीक हो चुके कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित चलने-फिरने में अक्षमता;

घ. ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी;

ङ. प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचाने गए पदों में बहरापन-अंधापन सहित खंड) ए (से) डी (के तहत व्यक्तियों में से एकाधिक दिव्यांगताएं(एमडी) ।

11.2 **विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा**: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में निर्दिष्ट दिव्यांगताओं की परिभाषा इस प्रकार है:

1. **शारीरिक अक्षमता**

(क) **गति-संबंधी अक्षमता** (किसी व्यक्ति की स्वयं और वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को करने में असमर्थता जो मस्कुलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों के विकार के कारण होती है), जिसमें शामिल हैं–

(क) "**कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति**" का अर्थ है वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है, लेकिन निम्न से पीड़ित है–

(i) हाथों या पैरों में संवेदना की हानि के साथ-साथ आँख और पलक में संवेदना की हानि और पक्षाघात, लेकिन कोई स्पष्ट विकृति नहीं;

(ii) स्पष्ट विकृति और पक्षाघात, लेकिन हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता होना जिससे वे सामान्य आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो सकें;

(iii) अत्यधिक शारीरिक विकृति और साथ ही वृद्धावस्था जो उसे कोई भी लाभदायक व्यवसाय करने से रोकती है, और "कुष्ठ रोग से मुक्त" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(ख) "**सेरेब्रल पाल्सी**" का अर्थ है शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील तंत्रिका संबंधी स्थितियों का एक समूह, जो मस्तिष्क के एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान के कारण होता है, जो आमतौर पर जन्म से पहले, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत बाद होता है;

(ग) "**बौनापन**" का अर्थ है एक चिकित्सीय या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप वयस्क की ऊँचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

(घ) "**मांसपेशी दुर्बलता**" का अर्थ है वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशी रोग का एक समूह जो मानव शरीर को गति देने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है और मल्टीपल डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीन सूचना का अभाव और गलत जानकारी होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। इसकी विशेषता प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष और मांसपेशियों की कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु है।

(ङ) "**एसिड अटैक पीड़ित**" का अर्थ है एसिड या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

(च) **रीढ़ की हड्डी में विकृति (एसडी)** और **रीढ़ की हड्डी में चोट (एसआई**) बिना किसी तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता के। एसडी/एसआई वाले व्यक्ति बिना तंत्रिका संबंधी/अंग संबंधी शिथिलता के, लोकोमोटर दिव्यांगता के अंतर्गत दिव्यांगता की सभी उप-श्रेणियों के लिए उपयुक्त हैं। एसडी/एसआई वाले व्यक्ति जिनके साथ अंग संबंधी शिथिलता है, उन्हें लोकोमोटर दिव्यांगता की संबंधित उप-श्रेणी के अंतर्गत कवर किया जाएगा, अर्थात ओए, ओएल, बीए, बीएल, ओएएल, बीएलओए, बीएलए, जैसा भी मामला हो।

ब) दृष्टि क्षीणता

(क) "**अंधापन**" का अर्थ ऐसी स्थिति है जहाँ किसी व्यक्ति में सर्वोत्तम सुधार के बाद निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो -

(i) दृष्टि का पूर्ण अभाव; या

(ii) सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ बेहतर आँख में दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम; या

(iii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 10 डिग्री से कम का कोण बनाती है।

(ख) "**कम दृष्टि**" से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहाँ किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति हो, अर्थात्: -

(i) बेहतर आँख में दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक न हो या 20/60 से कम या 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक हो, जिसमें सर्वोत्तम संभव सुधार हो; या

(ii) दृष्टि क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम या 10 डिग्री तक का कोण बनाती हो।

स) **श्रवण बाधिता**

(क) "**बधिर**" का अर्थ है ऐसे व्यक्ति जिनके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण हानि है;

(ख) "सुनने में कठिनाई" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों में वाक् आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी तक सुनने की क्षमता में कमी हो।

(ग) 'वाक् और भाषा अक्षमता' का अर्थ एक स्थायी अक्षमता है, जिस में गला संबंधी लार्यनजेक्टोमी या स्वरलोप जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि जैविक या तंत्रिका संबंधी कारणों से वाक् एवं भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

2. **बौद्धिक दिव्यांगता**, एक ऐसी स्थिति जो बौद्धिक कार्यप्रणाली (तर्क, सीखना, समस्या समाधान) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमाओं की विशेषता रखती है, जो दैनिक, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल की एक श्रृंखला को कवर करती है,

जिसमें शामिल हैं-

क. "**विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता**" का अर्थ है स्थितियों का एक विषम समूह जिसमें बोली या लिखित भाषा को संसाधित करने में कमी होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी करने या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है और इसमें ऐसी स्थितियां शामिल हैं अवधारणात्मक अक्षमताएँ, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया और विकासात्मक वाचाघात;

ख. "**ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार**" का अर्थ है एक तंत्रिका-विकासात्मक स्थिति जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से जुड़ने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, और अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।

3. **मानसिक व्यवहार**–"**मानसिक बीमारी**" का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक गंभीर विकार।

जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य माँगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से क्षीण कर देता है, लेकिन इसमें मंदबुद्धि शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति है, विशेष रूप से बुद्धि की असामान्यता की विशेषता।

4. दिव्यांगता के कारण

क. दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ, जैसे -

(i) "**मल्टीपल स्क्लेरोसिस**" का अर्थ है एक सूजनयुक्त, तंत्रिका तंत्र रोग जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षतंतु के चारों ओर स्थित माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे माइलिन का विघटन होता है और मस्तिष्क और मेरुरज्जु की तंत्रिका कोशिकाओं की एक-दूसरे से संवाद करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(ii) "**पार्किंसंस रोग**" का अर्थ है तंत्रिका तंत्र का एक प्रगतिशील रोग जो कंपन, मांसपेशियों में अकड़न और धीमी, अस्पष्ट गति से चिह्नित होता है, जो मुख्य रूप से मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करता है, जो मस्तिष्क के बेसल गैन्ग्लिया के अध:पतन और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से जुड़ा होता है।

ख. रक्त विकार -

(i) "**हीमोफीलिया**" का अर्थ है एक वंशानुगत रोग, जो आमतौर पर केवल पुरुषों को प्रभावित करता है, लेकिन महिलाओं द्वारा अपने पुरुष बच्चों में संचारित होता है, जिसमें रक्त के सामान्य थक्के जमने की क्षमता में कमी या कमी होती है जिससे एक मामूली घाव के परिणामस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(ii) "**थैलेसीमिया**" का अर्थ है वंशानुगत विकारों का एक समूह जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम या अनुपस्थित होती है।

(iii) "**सिकल सेल रोग**" का अर्थ है एक रक्तसंलायी विकार जिसमें दीर्घकालिक रक्ताल्पता, दर्दनाक घटनाएँ और संबंधित ऊतक एवं अंग क्षति के कारण विभिन्न जटिलताएँ होती हैं; "रक्तसंलायी" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के विनाश को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन का स्राव होता है।

5. **बहु-दिव्यांगताएँ** (उपर्युक्त निर्दिष्ट दिव्यांगताओं में से एक से अधिक) जिनमें बहरापन, अंधापन शामिल है, जिसका अर्थ है एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति में श्रवण और दृश्य हानि का संयोजन हो सकता है जिससे गंभीर संचार, विकासात्मक, और शैक्षिक समस्याएँ हो सकती हैं। बहु- दिव्यांगता (एमडी) श्रेणी के अंतर्गत, केवल व्यक्तिगत दिव्यांगताओं के संयोजन वाले उम्मीदवार ही पद के लिए पात्र हैं जो स्वतंत्र रूप से पात्र हैं।

6. कोई अन्य श्रेणी जो केंद्र सरकार द्वार अधिसूचित हो।

11.3 **आरक्षण के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता की डिग्री और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी:** केवल ऐसे व्यक्ति ही पदों में शर्तों/आरक्षण में छूट के पात्र होंगे जो संबंधित बेंचमार्क दिव्यांगता के 40 प्रतिशत से कम नहीं हैं। बेंचमार्क दिव्यांगता वाले वे व्यक्ति (PwBD) जिन्होंने छूट और/या आरक्षण का लाभ उठाया है और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए चुने गए हैं, उन्हें 14 मार्च 2024 को जारी राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) के नियम 18(1) के प्रपत्र V, VI और VII ,दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अध्याय 7 के अंतर्गत दिनांक 15.06.2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। । संशोधित प्रारूपों के लिए अनुलग्नक V(ए), अनुलग्नक V(बी) और अनुलग्नक V(सी) देखें। दिव्यांगजन अधिनियम 1995 (जिसे अब निरस्त कर दिया गया है) के तहत जारी मौजूदा दिव्यांगता प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि तक वैध बने रहेंगे।

11.4 बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (PwBD) ध्यान दें कि उन्हें आवेदन पत्र भरते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार उपयुक्त PwBD उप-श्रेणी, अर्थात् LD/HI/VI/MD का चयन करना होगा। किसी भी परिस्थिति में PwBD उप-श्रेणी में बाद में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय आवेदन पत्र में घोषित सक्षम प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र, अपनी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (UDID) के साथ प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-DDIII दिनांक 04.01.2021 में दर्शाए गए दिव्यांगता/दिव्यांगताओं के प्रकार (जैसे OA, OL, BL, OAL, DW, AAV, SD, SI आदि) का प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

11.5 चयनित दिव्यांग उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन के समय रेल चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा और केवल वे ही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली और अन्य मौजूदा प्रावधानों में निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुरूप हों।

11.6 जब रिक्तियाँ दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित हों और दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक श्रेणी, जैसे कि अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग-असहाय वर्ग, के न्यूनतम अर्हक प्रतिशत अंकों के साथ पूर्ण पैनल नहीं बनाया जा सकता है, तो समुदाय के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंकों में 2 अंक तक की छूट दी जाएगी।

11.7 **स्क्राइब की सहायता और प्रतिपूरक समय के लिए दिशानिर्देश**

11.7.1 दृष्टिहीनता, गति-संचालन दिव्यांगता (दोनों भुजाएँ प्रभावित - BA) और मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणी में मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि व्यक्ति ऐसा चाहे तो उसे स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी।

11.7.2 मानक दिव्यांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, स्क्राइब की सुविधा की अनुमति किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक अक्षमता है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। अभ्यर्थी अनुलग्नक V(जी) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक V(डी) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

11.7.3 40% से कम दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते) और लिखने में कठिनाई वाले दिव्यांगजन भी अनुलग्नक V(ई) के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक V(एफ) के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद परीक्षा केंद्र पर अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता ले सकते हैं।

11.7.4 सभी एक-आंख वाले उम्मीदवार और जिन उम्मीदवारों की दृश्य दिव्यांगता 40% से कम है, उन्हें दृष्टिबाधित व्यक्ति नहीं माना जाएगा।

11.7.5 उपरोक्त पैरा 11.7.1, 11.7.2 या 11.7.3 के तहत स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवार और स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना

चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा।

11.7.6 पात्र स्क्राइब को अपने खर्चे पर स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

11.7.7 जिन उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुना है:

क. यह सुनिश्चित करें कि उनका स्क्राइब rrbapply.gov.in पर रे.भ.बो. के साथ पंजीकृत है (कृपया स्क्राइब के पंजीकरण से संबंधित पैरा 11.7.8 देखें)

ख. संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद उपलब्ध 5-दिवसीय अवधि के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉग ऑन करें, ताकि स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत किया जा सके।

ग. अपने स्क्राइब का वन-टाइम पंजीकरण (ओटीआर) नंबर दर्ज करें। आपके स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा।

घ. स्क्राइब की पुष्टि के लिए स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी दर्ज करें।

11.7.8 स्क्राइब के लिए पंजीकरण

क. कोई भी व्यक्ति जो स्क्राइब के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहता है, उसे आरआरबी के साथ rrbapply.gov.in पर एक खाता बनाना होगा और अपने खाते के विवरण का उपयोग करके वहां स्वयं को स्क्राइब के रूप में पंजीकृत करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद, एक पंजीकरण संख्या (ओटीआर नंबर) जेनरेट की जाएगी और इसे स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी।

ख. जो उम्मीदवार उपरोक्त पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में वर्णित अनुसार स्क्राइब के लिए पात्र हैं और स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा। जिन उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुना है, उन्हें संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद प्रदान की जाने वाली पाँच दिवसीय अवधि के दौरान अपना स्क्राइब विवरण प्रस्तुत करना होगा। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा और स्क्राइब का ओटीआर नंबर दर्ज करना होगा। स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उम्मीदवार को स्क्राइब से यह ओटीपी प्राप्त करना होगा और स्क्राइब की पुष्टि के लिए इसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा।

ग. अभ्यर्थी के साथ आने वाले स्क्राइब को एक अलग ई-बुलावा पत्र जारी किया जाएगा। स्क्राइब को परीक्षा के दिन पंजीकरण के दौरान इस्तेमाल किया गया मूल और वैध पहचान प्रमाण साथ लाना होगा।

11.7.9 किसी भी व्यक्ति को स्क्राइब के रूप में नियुक्त करने से पहले स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवारों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए

क. कोई भी उम्मीदवार जो स्क्राइब का उपयोग कर रहा है, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में स्क्राइब का उपयोग करने के योग्य है/हैं। कोई भी उम्मीदवार जो ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने के योग्य नहीं है, और ऑनलाइन परीक्षा में स्क्राइब और/या प्रतिपूरक समय का उपयोग करता है, उसे भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उपरोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्क्राइब का उपयोग करने वाले किसी भी उम्मीदवार को, यदि वह पहले से ही रेल सेवा में शामिल हो चुका है, बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।

ख. कोई भी व्यक्ति rrbapply.gov.in पर रे.भ.बो. के साथ स्क्राइब के रूप में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करने के बाद ही स्क्राइब के रूप में कार्य करेगा/करेगी।

ग. एक स्क्राइब एक ही परीक्षा में एक से अधिक उम्मीदवारों को सहायता नहीं देगा/देगी।

घ. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार उसी सीईएन में किसी अन्य उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं कर सकता/सकती। स्क्राइब और उम्मीदवार दोनों को इस आशय का एक घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार ने उसी परीक्षा के लिए स्क्राइब के रूप में किसी अन्य उम्मीदवार की सहायता की है, तो दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

ङ. अभ्यर्थी के स्वयं के स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए।

च. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्क्राइब के संबंध में दी गई जानकारी सही हो। यदि परीक्षा के दौरान या उसके बाद किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने स्क्राइब की सुविधा का लाभ उठाया है और स्क्राइब प्रतिरूपणकर्ता पाया जाता है और/या स्क्राइब या अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत या असत्य

पाई जाती है, तो अभ्यर्थी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा, और उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

छ. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा लाए गए स्क्राइब के किसी भी कदाचार के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। परीक्षा के दौरान, किसी भी चरण में, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वयं प्रश्नों का उत्तर दे रहा है/हल कर रहा है, तो ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी, जो स्क्राइब की सेवाएँ ले रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षा के बाद परीक्षा प्रशासक कर्मचारी द्वारा यह रिपोर्ट दी जाती है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं।

परीक्षा केंद्र पर स्क्राइब का परिवर्तन:परीक्षा स्थल पर स्क्राइब के परिवर्तन की सामान्यतः अनुमति नहीं है। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, विधिवत कारण दर्ज करके परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है। नए स्क्राइब को रे.भ.बो. में स्क्राइब के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, और एकमुश्त पंजीकरण (ओटीआर) प्रिंटआउट की एक प्रति परीक्षा केंद्र पर जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त, नए स्क्राइब को पैरा 11.7.9 के तहत स्क्राइब के लिए लागू अन्य सभी मानदंडों को पूरा करना होगा। उम्मीदवारों को "स्क्राइब परिवर्तन" फॉर्म और 'स्क्राइब का उपयोग करने के लिए वचन पत्र' फॉर्म में विवरण भरना होगा।

यदि ये आवश्यकताएँ पूरी नहीं होती हैं, तो रे.भ.बो. अपने विवेक से एक स्क्राइब नियुक्त कर सकता है, बशर्ते उम्मीदवार अभी भी स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाना चाहता हो। रे.भ.बो. द्वारा प्रदान की गई स्क्राइब की योग्यता सीईएन की न्यूनतम योग्यता से अधिक नहीं होगी। हालाँकि, स्क्राइब की योग्यता हमेशा मैट्रिक या उससे ऊपर होगी।

11.7.10. पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में उल्लिखित अनुसार, स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के पात्र अभ्यर्थी, यदि चाहें तो स्क्राइब की सुविधा और/या प्रतिपूरक समय का लाभ उठा सकते हैं।

क. उपर्युक्त पैराग्राफों में निर्दिष्ट अनुसार, स्क्राइब का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा।

ख. पैरा 11.7.1, 11.7.2 और 11.7.3 में उल्लिखित अभ्यर्थी, जो स्क्राइब के उपयोग के पात्र हैं, लेकिन इस सुविधा का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं, उन्हें भी परीक्षा के दौरान प्रति घंटे 20 मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जा सकता है, यदि वे चाहें।

11.7.11. स्क्राइब की नियुक्ति संबंधी शर्तें, सक्षम प्राधिकारी के द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित विभिन्न प्रावधानों/आदेशों के अधीन होंगी।

12.0 वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)

रेल या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित किसी भी केंद्र/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (प्रेरण प्रशिक्षण/परिवीक्षा अवधि से गुजर रहे उम्मीदवारों सहित) उम्मीदवार अपने नियोक्ता को विधिवत सूचित करते हुए सीधे रे.भ.बो. को आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। दस्तावेज़ सत्यापन/पैनलीकरण/नियुक्ति के दौरान/उस समय निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने वर्तमान नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना उम्मीदवार की पूर्णतः जिम्मेदारी है। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी/पैनलीकरण/नियुक्ति अस्वीकार और रद्द कर दी जाएगी।

नोट: अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि संबंधित रे.भ.बो. को उनके नियोक्ता से कोई पत्र प्राप्त होता है, जिसमें अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए आवेदन करने/उसमें सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।

13.0 भर्ती प्रक्रिया

13.1 उम्मीदवारों को किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। उम्मीदवार केवल एक रेलवे भर्ती बोर्ड और केवल एक सामान्य ऑनलाइन आवेदन (किसी भी या सभी अधिसूचित पदों के लिए वरीयता क्रम में) के लिए आवेदन कर सकते हैं। **एक बार रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन अंतिम होगा। एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक रेलवे भर्ती बोर्ड में आवेदन करने पर सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।**

13.2 ऑनलाइन आवेदन के दौरान, उम्मीदवारों को 'खाता बनाने' के लिए कहा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार ने 2024/2025 में अधिसूचित सीईएन के लिए पहले ही एक खाता बना लिया है, तो उन्हें लॉग इन करने और इस सीईएन के लिए आवेदन करने के लिए उसी खाता क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए। यदि उम्मीदवारों ने पहले कोई

खाता नहीं बनाया है, तो उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन भरने से पहले 'एक खाता बनाना' होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे खाता निर्माण के लिए आवश्यक विवरण अत्यंत सावधानी से भरें, क्योंकि खाता बनने के बाद किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। खाता बनने के बाद 'खाता बनाएं' फॉर्म में भरे गए विवरण (मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित) को किसी भी चरण में संशोधित नहीं किया जा सकता है।

13.3 भर्ती प्रक्रिया में सिंगल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा, अनुवाद परीक्षा (जैसा लागू हो) और दस्तावेज सत्यापन/चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी। हालाँकि, यदि रेलवे भर्ती बोर्ड सभी या सीमित संख्या में उम्मीदवारों के लिए आवश्यक समझे तो अतिरिक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13.4 सभी गतिविधियों जैसे कि सीबीटी, अनुवाद परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन, चिकित्सीय परीक्षण या कोई अन्य अतिरिक्त गतिविधि, जो लागू हो, उनकी तिथि, समय और स्थान आरआरबी द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और पात्र उम्मीदवारों को समय पर सूचित किया जाएगा। उपरोक्त किसी भी गतिविधि के स्थगन या स्थान, तिथि और शिफ्ट में परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

13.5 एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा का प्रश्न पत्र 100 सवालों के लिए 90 मिनट का होगा और जो उम्मीदवार स्क्राइब का उपयोग करने के योग्य हैं, उनके लिए 120 मिनट का होगा।

13.6 प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे।

13.7 एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रश्नों का मानक आम तौर पर पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप होगा। व्यावसायिक योग्यता से संबंधित प्रश्न अनुलग्नक-VII से XIV में उल्लेखित प्रत्येक अधिसूचित पद के पाठ्यक्रम से होंगे।

नोट: **ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया से परिचित होने के लिए उम्मीदवारों को रेल्वे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर मॉक/प्रैक्टिस टेस्ट भी उपलब्ध कराए जाएंगे।**

13.8 **अनुभाग-वार अंक:** कनिष्ठ अनुवादक/हिंदी को छोड़कर सभी पदों के लिए **अनुभाग-वार प्रश्नों की संख्या और अंक** नीचे दिए गए हैं:

विषय	प्रश्नों की संख्या	अंक आवंटित
व्यावसायिक योग्यता	50	50
सामान्य जागरूकता	15	15
सामान्य बुद्धि और तर्कशक्ति	15	15
गणित	10	10
सामान्य विज्ञान	10	10
कुल	**100**	**100**

प्रत्येक प्रश्न एक-एक अंक का होगा।

उपर्युक्त सारणी में दिया गया खंडवार विभाजन केवल सांकेतिक है और वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है। **नकारात्मक अंकन होगा तथा प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 अंक काट लिए जाएंगे |**

कनिष्ठ अनुवादक/हिन्दी को छोड़कर सभी पदों के लिए प्रश्नों में निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न शामिल होने की संभावना है:

क. गणित**:**

संख्या प्रणाली, बोडमास, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार्य, समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी।

ख. सामान्य बुद्धि और तर्क

अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संक्रियाएँ, संबंध, युक्ति वाक्य, बिना क्रम के रखना (जंबलिंग), वेन आरेख, आँकड़ा व्याख्या और पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय लेना, समानताएँ और अंतर, विश्लेषणात्मक तर्क, वर्गीकरण, दिशा निर्देश, कथन-तर्क, और धारणा इत्यादि।

ग. सामान्य जागरूकता

घ. वर्तमान घटनाओ का ज्ञान, भारतीय भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन सहित भारत की संस्कृति और इतिहास, भारतीय

राजनीति और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, खेल, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि का ज्ञान।

ङ. सामान्य विज्ञान

च. भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान (10वीं कक्षा तक सीबीएसई पाठ्यक्रम)।

13.9 विभिन्न समुदायों में पात्रता के लिए अंकों का न्यूनतम प्रतिशत: अनारक्षित -40%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-40%, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर)- 30%, अनुसूचित जाति-30% और अनुसूचित जनजाति-25%। पीडब्लुबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के मुकाबले पीडब्लुबीडी उम्मीदवारों की कमी होने पर उनके पात्रता के लिए अंकों के इन प्रतिशत में 2 अंकों की छूट दी जाएगी।

13.10.1 जहां दूसरे चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा को आवश्यक समझा जाता है और आयोजित किया जाता है, रेलवे भर्ती बोर्ड दूसरे चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उचित संख्या में उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के उद्देश्य से पहले चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा को योग्यता परीक्षा के रूप में मानने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

13.10 कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)

एक एकल चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजित किया जाएगा जिसके बाद क्वालीफाइंग अनुवाद परीक्षा होगा। प्रश्न पत्र को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के साथ-साथ हिंदी भाषा के ज्ञान दोनों का समान रूप से परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। कम से कम 50% प्रश्न भाषा दक्षता का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे - 20% अंग्रेजी के लिए और 30% हिंदी के लिए। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाषा भाग का पाठ्यक्रम अनुलग्नक-VII में दिया **गया है।** शेष प्रश्न सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि, सरल अंकगणित और कंप्यूटर की बुनियादी बातों का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे।

<u>अनुवाद परीक्षण</u>

(i) अनुवाद परीक्षा मुख्य परीक्षा का हिस्सा नहीं होगी। अभ्यर्थियों को 10 गुना गिनती रिक्तियों की संख्या को वस्तुनिष्ठ प्रकार कंप्यूटर आधारित परीक्षा की योग्यता के आधार पर, आरक्षण आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अनुवाद परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

(ii) अनुवाद परीक्षा केवल एक अर्हक परीक्षा होगी और अर्हक उत्तीर्ण अंक 60% होंगे।

(iii) कनिष्ठ अनुवादक की मेरिट सूची केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। जो लोग 60% अंकों के साथ अनुवाद परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे उन्हें आगे के मूल्यांकन/चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

13.11 दस्तावेज़ सत्यापन (दस्तावेज सत्यापन)

कंप्यूटर आधारित परीक्षा और अनुवाद परीक्षण (जैसा लागू हो) में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर, रिक्तियों की संख्या के बराबर उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और विकल्पों के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। समान अंक प्राप्त करने वाले दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के मामले में, उनकी योग्यता स्थिति आयु मानदंड द्वारा निर्धारित की जाएगी यानी, बड़े व्यक्ति को उच्च योग्यता पर रखा जाएगा और यदि आयु समान है, तो टाई को तोड़ने के लिए नाम के वर्णमाला क्रम (ए से जेड) दिए गए नाम का (उपनाम नहीं) को ध्यान में रखा जाएगा।

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन पत्र में दर्शाए गए समुदाय/श्रेणी से संबंधित हैं और दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान उन्हें सक्षम प्राधिकारी से एक वैध प्रमाण पत्र प्रदान करके अपने दावे को प्रमाणित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी. इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को आगाह किया जाता है कि एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/भुतपूर्व सैनिक स्थिति के संबंध में फर्जी दावे या अनुचित लाभ लेने से रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित परीक्षाओं/भर्तियों से वंचित एवं डीबार किया जाएगा।

13.12 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन/रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षा में उत्तीर्ण होने, शैक्षिक और सामुदायिक प्रमाणपत्रों के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है। उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड केवल पैनल में शामिल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करते हैं और नियुक्ति केवल संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा की जाती है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दस्तावेज़ सत्यापन (दस्तावेज सत्यापन) में सफल सभी उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा जाता है।

14.0 आवेदन कैसे करें

14.1	गलतियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन में दी गई सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।
14.2	**खाता बनाएं**
14.2.1	रेलवे भर्ती बोर्ड के साथ खाता बनाएं: **क.** उम्मीदवार को पहले नीचे पैरा 16.0 पर सूचीबद्ध आधिकारिक रेलवे भर्ती बोर्ड वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का उपयोग करके इस सीईएन के लिए एक खाता बनाना होगा। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही पिछले रेलवे भर्ती बोर्ड सीईएन के लिए खाता बना लिया है, उन्हें इस सीईएन के लिए आवेदन करने के लिए समान लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना चाहिए और साथ ही रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का उपयोग करना चाहिए। **ख.** खाता निर्माण के दौरान आवश्यक ओटीपी प्राप्त करने के लिए एक वैध व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और सक्रिय ईमेल आईडी अनिवार्य है। **ग.** बाद में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सहित "खाता बनाएं" फॉर्म में दर्ज किए गए विवरण में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। **घ.** इसलिए, उम्मीदवारों को दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि वे सभी जानकारी सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से दर्ज करें, क्योंकि कोई सुधार या सुधार नहीं होगा। खाता निर्माण के बाद संशोधन की अनुमति दी जाएगी।
14.2.2	पहचान प्रमाणीकरण सलाहकार: **क.** उम्मीदवारों को उनके हित में, "खाता बनाएं" प्रक्रिया के दौरान डिजिलॉकर या आधार का उपयोग करके अपनी पहचान प्रमाणित करने की दृढ़ता से सलाह दी जाती है। **ख.** ऐसा करने से भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में एक आसान और सरल सत्यापन की सुविधा मिलेगी। **ग.** कृपया ध्यान दें कि जो आवेदक वैकल्पिक फोटो आईडी के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करना चुनते हैं, वे भर्ती के हर चरण में काफी सख्त और अधिक विस्तृत जांच के अधीन होंगे।
14.3	**ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश**
	क. उम्मीदवारों को इस सीईएन के लिए आवेदन करने के लिए केवल आधिकारिक रेलवे भर्ती बोर्ड वेबसाइटों पर दिए गए लिंक का ही उपयोग करना चाहिए। कृपया ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले विस्तृत सीईएन में दी गई सभी जानकारी और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। **ख.** उम्मीदवारों को सही जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा और जमा करने से पहले दोबारा जांचना होगा। **ग.** आवेदन जमा करने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। **घ.** परीक्षा का माध्यम: कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रश्न अंग्रेजी, हिंदी और 13 क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं (जैसे, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी) में उपलब्ध होंगे। मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू)। तदनुसार, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में सूचीबद्ध माध्यमों में से किसी एक में से अपनी परीक्षा का माध्यम चुनना होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रश्न चुनी गई भाषा और अंग्रेजी में प्रदर्शित किए जाएंगे। आवेदन चरण में एक बार चुने गए भाषा विकल्प में कोई बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। **ङ.** **चुने गए RRB के तहत ज़ोन वरीयताओं का क्रम:** उम्मीदवार को अधिसूचित पद के लिए ज़ोन वरीयता का क्रम बताना होगा। **च.** विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड या एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए एकाधिक आवेदन, सभी आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस सीईएन के खिलाफ एक उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप अयोग्यता और भर्ती प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। **छ.** आवेदन जमा करने के बाद, उम्मीदवार को पैरा 7.1 में बताए अनुसार परीक्षा शुल्क के भुगतान के तरीके को चुनने और भुगतान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। महत्वपूर्ण: कृपया भुगतान के तरीके की वास्तविकता के साथ-साथ इस सीईएन के लिए जमा किए गए आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम दिनांक के बारे में सावधान रहें। भुगतान करते समय अनधिकृत वेबसाइटों से बचें। अंत में, शुल्क भुगतान की पुष्टि प्राप्त होने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन की स्वीकृति होगी। **ज.** आवेदक को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से ऑनलाइन सफल भुगतान की पुष्टि प्राप्त होगी।
14.4	**आवेदन के दौरान उम्मीदवार की लाइव फोटो कैप्चरिंग**
	आवेदन के दौरान उम्मीदवार की लाइव फोटो खींचने के लिए निर्देश: 14.4.1 उम्मीदवारों को आवेदन करते समय पहले से मौजूद फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। 14.4.2 आवेदन मॉड्यूल आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार की लाइव फोटो लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

	14.4.3 लाइव फोटो वेबकैम या मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे (स्क्रीन के किनारे वाला कैमरा) से ली जा सकती है। 14.4.4 पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड) के साथ कंट्रास्ट बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करें कि आप गैर श्वेत(non-white) गहरे रंगों के वरियाता देते हुए कपड़े पहने। 14.4.5 इस उद्देश्य के लिए, उम्मीदवार को आवेदन मॉड्यूल द्वारा संकेत दिए जाने पर कैमरे के सामने खड़ा होना चाहिए या बैठना चाहिए और नीचे दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए: **क.** फोटो लेने से पहले सुनिश्चित करें कि कैमरा आँखों के स्तर पर स्थित हो। **ख.** कैमरे के ठीक सामने खड़े हो जाएँ और तटस्थ भाव से सीधे आगे देखें। **ग.** सुनिश्चित करें कि आपका पूरा चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे और आवेदन मॉड्यूल द्वारा दिखाए गए फ्रेम के भीतर केंद्रित हो। **घ.** सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा न तो कैमरे के बहुत पास हो और न ही बहुत दूर, और सिर या चेहरे का कोई भी हिस्सा निर्धारित फ्रेम के बाहर न हो। **ङ.** फ़ोटो खींचते समय टोपी, मास्क या चश्मा न पहनें। **च.** उम्मीदवार अपनी ली गई फ़ोटो का पूर्वावलोकन कर सकते हैं और यदि वे छवि से संतुष्ट नहीं हैं, तो उसे तब तक दोबारा ले सकते हैं जब तक उनका आवेदन जमा न हो जाए। **छ.** इन दिशानिर्देशों का पालन न करने वाली तस्वीरों वाले आवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य हैं। **ज.** भर्ती की पूरी प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी की उपस्थिति आवेदन के साथ प्रस्तुत फोटोग्राफ से मेल खानी चाहिए। **झ.** आँख पूरी तरह से खुली हो अन्यथा फोटो कैप्चर नह होगी **महत्वपूर्ण नोट** **1.** उम्मीदवार को किसी प्रिंटेड या डिजिटल पहले से मौजूद फोटो की फोटो लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिस भी आवेदन में ऐसी फोटो प्रस्तुत की जाएगी, उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। **2.**पोर्टल में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को उचित छूट दी गई है, जो मामले के अनुसार संबंधित विकल्प चुन सकते हैं।
14.5	**ऑन-लाइन आवेदन के दौरान अनिवार्य रूप से स्कैन किए गए दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए तैयार रखने होंगे।**
	निम्नलिखित अपलोड करने की आवश्यकता है **क.** इस सीईएन के पैरा 14.5.1 में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार जेपीजी/जेपीईजी प्रारूप में उम्मीदवार के हस्ताक्षर। **ख.** एससी/एसटी प्रमाणपत्र (मुफ़्त ट्रेन यात्रा पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए) सीईएन में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार पीडीएफ प्रारूप में
14.5.1	**उम्मीदवार के हस्ताक्षर:** उम्मीदवारों को अपने हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी होगी, जैसा कि नीचे बताया गया है: **क.** हस्ताक्षर उम्मीदवार की अपनी रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए। **ख.** सफेद कागज पर काली स्याही वाले पेन का इस्तेमाल करें। **ग.** हस्ताक्षर रनिंग हैंडराइटिंग (यानी, कर्सिव/जुड़े हुए अक्षर) में होने चाहिए, बड़े अक्षरों या असंबद्ध अक्षरों में नहीं। हस्ताक्षर साफ, पढ़ने लायक और स्कैन किए गए एरिया में पूरी तरह से दिखाई देने चाहिए। **हस्ताक्षर के लिए विनिर्देश** • हस्ताक्षरित कागज को कम से कम 100 डीपीआई के रिज़ॉल्यूशन का उपयोग करके स्कैन करें। • फोटो फ़ाइल फ़ॉर्मेट: केवल जेपीजी/जेपीईजी • फ़ाइल साइज़: 30 केबी और 49 केबी के बीच • फोटो आयाम: न्यूनतम 140 पिक्सेल (चौड़ाई) × 60 पिक्सेल (ऊंचाई) • स्कैन किए गए हस्ताक्षर आवेदन फ़ॉर्म पर तय स्कैन बॉक्स के अंदर होने चाहिए: बॉक्स का साइज़: 35 mm

(चौड़ाई) × 20 mm (ऊंचाई)। हस्ताक्षर की फोटो इस बॉक्स के बीच में होनी चाहिए।

हस्ताक्षर से संबंधित ऑनलाइन आवेदन निरस्त होने के कारण

ऑनलाइन आवेदन और सीईएन के लिए उम्मीदवार की उम्मीदवारी को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर निम्नलिखित कारणों से निरस्त किया जा सकता है:

- **क.** गैर-सफेद पृष्ठभूमि का उपयोग
- **ख.** हस्ताक्षर के लिए काली स्याही के अलावा किसी और स्याही का उपयोग
- **ग.** रनिंग हैंडराइटिंग के बजाय ब्लॉक या बड़े अक्षरों में लिखे गए हस्ताक्षर
- **घ.** खराब रिज़ॉल्यूशन या अस्पष्ट हस्ताक्षर फोटो
- **ङ.** अधूरा या आंशिक रूप से दिखाई देने वाला हस्ताक्षर
- **च.** हस्ताक्षर के अलावा कोई और फोटो अपलोड करना
- **छ.** कोई हस्ताक्षर नहीं (खाली)
- **ज.** हस्ताक्षर की जगह अंगूठे का निशान

उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके हस्ताक्षर की छवि निर्धारित आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से पालन करे ताकि भर्ती की किसी भी अवस्था में अस्वीकृति से बचा जा सके।

महत्वपूर्ण: आवेदन पर किया गया हस्ताक्षर इन जगहों पर लिए गए हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए:

- **क.** परीक्षाएँ
- **ख.** दस्तावेज़ सत्यापन (DV)
- **ग.** चिकित्सा परीक्षण (ME)
- **घ.** नियुक्ति के समय

नोट:- बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों की कुछ श्रेणियां जिनकी विकलांगता उन्हें हस्ताक्षर करने से रोकती है, उन्हें निम्नलिखित क्रम में संभव होने पर किसी भी उंगली के निशान की स्कैन की गई फोटो अपलोड करने की अनुमति है: बाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा, हाथों की कोई भी उंगली, पैरों की कोई भी उंगली।

14.5.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र (नि:शुल्क रेल यात्रा पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो उम्मीदवार नि:शुल्क रेल यात्रा पास लेना चाहते हैं, उन्हें अपने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई कॉपी इन विनिर्देशों के साथ अपलोड करनी होगी:

- **क.** दस्तावेज सिर्फ़ पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए।
- **ख.** फ़ाइल का आकार 400 केबी से कम होना चाहिए।
- **ग.** प्रमाण पत्र साफ़, स्पष्ट और आसानी से पढ़ने लायक होना चाहिए।
- **घ.** यह ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की आखिरी दिनांक तक नवीनतम और वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए।

14.6 स्क्राइब की सहायता

1. स्क्राइब सहायता के लिए पात्रता

I. दृष्टिहीनता, गति-बाधित दिव्यांगता (दोनों भुजाएँ प्रभावित - बीए), और मस्तिष्क पक्षाघात जैसी श्रेणियों में मानक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी, यदि अभ्यर्थी चाहें तो, स्क्राइब सहायता के लिए पात्र हैं। (कृपया पैरा 11.7.1 देखें)

II. मानक दिव्यांगता की अन्य श्रेणियों के लिए, स्क्राइब की सुविधा केवल किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि अभ्यर्थी के पास लिखने की कोई शारीरिक सीमा है और उनकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। (कृपया पैरा 11.7.2 देखें)

- **क.** प्रमाण पत्र अनुलग्नक V(जी) में दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।
- **ख.** अनुबंध के अनुसार अंडरटेकिंग का पत्र V (डी) भी परीक्षा केंद्र में जमा किया जाना चाहिए

III. 40% से कम दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी (जो RPwDA अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) के अंतर्गत आते हैं, लेकिन धारा 2(r) के अंतर्गत नहीं आते) और जिन्हें लिखने में कठिनाई हो रही है, वे भी निम्नलिखित शर्तों पर स्क्राइब सहायता प्राप्त कर सकते हैं: (कृपया पैरा 11.7.3 देखें)

- **क.** अनुलग्नक V(ई) के अनुसार प्रमाण पत्र जमा करना, और

ख. अनुलग्नक V(एफ) के अनुसार वचन पत्र परीक्षा केंद्र पर जमा करना।

IV. एक-आँख वाले अभ्यर्थी और 40% से कम दृष्टिबाधित अभ्यर्थी दृष्टिबाधित नहीं माने जाते।

V. स्क्राइब-योग्य दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना होगा।

VI. स्क्राइब-योग्य अभ्यर्थियों को अपने खर्चे पर स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

2. स्क्राइब चुनने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्देश

I. योग्य दिव्यांग उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में स्क्राइब का विकल्प चुनना चाहिए।

II. अपने खर्चे पर स्वयं स्क्राइब की व्यवस्था करें।

III. यह सुनिश्चित करें कि उनका स्क्राइब rrbapply.gov.in (पैरा 11.7.8 देखें) पर पंजीकृत हो।

IV. संशोधन विंडो बंद होने के तुरंत बाद प्रदान की गई पाँच-दिवसीय अवधि के दौरान आवेदन पोर्टल पर लॉग इन करना होगा, ताकि स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत किया जा सके और उसका एकमुश्त पंजीकरण (OTR) नंबर दर्ज किया जा सके। स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को स्क्राइब की पुष्टि के लिए यह OTP दर्ज करना होगा।

नोट: किसी भी व्यक्ति को स्क्राइब के रूप में नियुक्त करने से पहले कृपया स्क्राइब के लिए लागू शर्तों/योग्यताओं को समझने के लिए CEN का पैरा 11.7.9 पढ़ें।

3. स्क्राइब के लिए पंजीकरण

I. स्क्राइब के रूप में नियुक्त किसी भी व्यक्ति को, जो स्क्राइब के लिए पात्र है, रे.भ.बो. पोर्टल पर rrbapply.gov.in पर होमपेज → स्क्राइब पंजीकरण पर जाकर पंजीकरण कराना होगा।

II. सफल पंजीकरण के बाद, एक ओटीआर(OTR) नंबर जनरेट किया जाएगा और स्क्राइब के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

III. केवल वैध ओटीआर नंबर वाले पंजीकृत स्क्राइब को ही स्क्राइब के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति होगी।

नोट: स्क्राइब को एक अलग ई-बुलावा पत्र जारी किया जाएगा। स्क्राइब को परीक्षा के दिन पंजीकरण के समय मूल और वैध आईडी प्रमाण सहित अपने साथ रखनी होगी।

4. स्क्राइब पर लागू शर्तें

स्क्राइब के लिए पात्र उम्मीदवारों को इन शर्तों का पालन करना होगा:

I. केवल वे ही स्क्राइब का उपयोग कर सकते हैं जो दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं। स्क्राइब का अनधिकृत उपयोग और/या प्रतिपूरक समय अयोग्यता का कारण बनेगा, और यदि पहले से नियुक्त है, तो बिना किसी सूचना के सेवा से हटाया जा सकता है।

II. कोई व्यक्ति rrbapply.gov.in पर ओटीआर पंजीकरण पूरा करने के बाद ही स्क्राइब के रूप में कार्य कर सकता है।

III. स्क्राइब एक सीईएन की परीक्षा में केवल एक उम्मीदवार की सहायता कर सकता है।

IV. कोई उम्मीदवार उसी सीईएन में किसी अन्य उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं कर सकता। उल्लंघन करने पर दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

V. अभ्यर्थी के स्वयं के स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कम होनी चाहिए।

VI. उम्मीदवार, स्क्राइब के बारे में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए ज़िम्मेदार है। किसी भी प्रकार की प्रतिरूपण या झूठी जानकारी के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

VII. स्क्राइब द्वारा किए गए किसी भी कदाचार के लिए उम्मीदवार उत्तरदायी होगा।

	VIII. यदि किसी भी समय स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर देते या हल करते पाया जाता है, तो उम्मीदवार का परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
14.7	**प्रस्तुत आवेदन विवरण में संशोधन**
	पूर्ण ऑनलाइन आवेदन जमा करने और अपेक्षित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद, जो उम्मीदवार किसी भी विवरण में संशोधन करना चाहते हैं ('खाता बनाएँ' फ़ॉर्म और चुने गए रे.भ.बो. में भरे गए विवरणों को छोड़कर) वे प्रति संशोधन ₹250 का गैर-वापसी योग्य संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकते हैं। • 'खाता बनाएँ' फ़ॉर्म और 'चुने गए रे.भ.बो.' में दर्ज विवरण किसी भी परिस्थिति में नहीं बदले जा सकते। • संशोधन विंडो 01/02/2026 से 10/02/2026 तक खुली रहेगी। • 10/02/2026 के बाद संशोधन के अनुरोध स्वीकार नहीं किए जाएँगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा से पहले सभी जानकारी सावधानीपूर्वक सत्यापित कर लें।

15.0 उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत **कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी)** , इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) योजना भारत सरकार की राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) का एक हिस्सा है और इसका प्रबंधन प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) द्वारा किया जाता है। देश भर में 1.5 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) हैं जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने और ई-वॉलेट के माध्यम से शुल्क के भुगतान में वांछित सहायता प्रदान करेंगे। सामान्य सेवा केंद्र की सूची वेबसाइट www.csc.gov.in पर उपलब्ध है। निकटतम सामान्य सेवा केंद्र जानने के लिए, कृपया लिंक खोलें - फाइंड माई सीएससी (https://findmycsc.nic.in/csc/ ।

16.0 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर प्रामाणिक जानकारी और नियमित अपडेट या इस अधिसूचना में किसी भी बदलाव के लिए आधिकारिक रेलवे भर्ती बोर्ड वेबसाइटों को अक्सर देखते रहें।

रेलवे भर्ती बोर्ड वेबसाइटों की सूची		
अहमदाबाद www.rrbahmedabad.gov.in	चंडीगढ़ www.rrbcdg.gov.in	मुम्बई www.rrbmumbai.gov.in
अजमेर www.rrbajmer.gov.in	चैन्नई www.rrbchennai.gov.in	मुजफ्फरपुर www.rrbmuzaffarpur.gov.in
प्रयागराज www.rrbpryj.gov.in	गोरखपुर www.rrbgkp.gov.in	पटना www.rrbpatna.gov.in
बैंगलुरु www.rrbbnc.gov.in	गुवाहाटी www.rrbguwahati.gov.in	रांची www.rrbranchi.gov.in
भोपाल www.rrbbhopal.gov.in	जम्मु-श्रीनगर www.rrbjammu.nic.in	सिकंदराबाद www.rrbsecunderabad.gov.in
भुवनेश्वर www.rrbbbs.gov.in	कोलकता www.rrbkolkata.gov.in	सिलीगुड़ी www.rrbsiliguri.gov.in
बिलासपुर www.rrbbilaspur.gov.in	मालदा www.rrbmalda.gov.in	तिरुवनंतपुरम www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

(a) मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन में जमा की गई जानकारी की वैधता साबित करने का दायित्व उम्मीदवारों पर होगा।

(b) महत्वपूर्ण

I. इस सीईएन में कई पदों और अन्य आवश्यकताओं को अधिसूचित किया गया है। उम्मीदवारों को अपनी पद-वार और रेलवे/उत्पादन इकाई-वार वरीयताओं को बहुत सावधानी से इंगित करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन में एक बार दिए गए विकल्प अंतिम होंगे और परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पद और रेलवे/उत्पादन इकाई के लिए विकल्प चुनते समय सावधानी बरतें। रेलवे भर्ती बोर्ड योग्यता और रिक्ति स्थिति के आधार पर उम्मीदवारों की वरीयता के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को पद और रेलवे/उत्पादन इकाई आवंटित करेगा। हालाँकि, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/आवश्यकताओं के मामले में, रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवार की उपयुक्तता के अधीन किसी भी पद/रेलवे को आवंटित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

II. आंशिक विकल्प वाले अभ्यर्थियों पर केवल उनके द्वारा चुनी गई विशिष्ट श्रेणियों के लिए ही विचार किया जाएगा क्योंकि कुछ श्रेणियों या सभी श्रेणियों के लिए गैर-विकल्प उसी के लिए उनकी अनिच्छा को इंगित करेगा।

III. **महत्वपूर्ण चयन प्रक्रिया के संबंध में सभी संचार संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से सूचित किए जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस सीईएन के बारे में किसी भी बदलाव के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए अक्सर रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइटों पर जाने की सलाह दी जाती है।**

IV. हालाँकि, उपरोक्त के अलावा, **उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत ईमेल आईडी सक्रिय रखना होगा, ताकि संचार एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सके।**

V. **रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ईमेल पते में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेंगे।**

VI. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और रेलवे भर्ती बोर्ड के साथ पत्राचार के लिए अपने **पंजीकरण संख्या** को ध्यान से नोट करें और याद रखें।

17.0 आवेदन में संशोधन

क. अगर कोई उम्मीदवार 'खाता बनाएं' फॉर्म (जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल ID शामिल हैं) और चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड को छोड़कर किसी भी जानकारी में बदलाव, चेंज या सुधार करना चाहता है, तो वह हर बार 250/- रुपये (नॉन-रिफंडेबल) की संशोधन शुल्क देकर ऐसा कर सकता है। 'खाता बनाएं' फॉर्म (जिसमें मोबाइल नंबर और ईमेल ID शामिल हैं) और चुने गए रेलवे भर्ती बोर्ड में भरी गई जानकारी को बदला नहीं जा सकता।

ख. संशोधन शुल्क का भुगतान समुदाय और श्रेणी की परवाह किए बिना सभी उम्मीदवारों को करना होगा।

ग. यदि कोई उम्मीदवार अपने समुदाय को एससी/एसटी से अनारक्षित या ओबीसी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में संशोधित करता है, तो उसे संशोधन शुल्क के अलावा परीक्षा शुल्क में अंतर यानी 250/- रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

घ. इसी तरह, यदि कोई उम्मीदवार भुतपूर्वसैनिक/महिला/ट्रांसजेंडर/पीडब्ल्युबीडी से युआर/ओबीसी(एनसीएल) /ईडब्लुएस/गैर-भुतपूर्व सैनिक/ पुरुष आदि में स्विच कर रहा है, तो उसे संशोधन शुल्क के अलावा परीक्षा शुल्क में अंतर यानी 250/- रुपये का भुगतान करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ङ. प्रत्येक अवसर के लिए संशोधन शुल्क का भुगतान करने पर ऑनलाइन आवेदन में कितनी भी बार संशोधन की अनुमति दी जाएगी।

च. ऑनलाइन आवेदन में संशोधन, संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम दिनांक और समय के 10 (दस) दिन बाद तक की अनुमति दी जाएगी यानी 29/01/2026 इस सीईएन के लिए। संशोधन विंडो 01/02/2026 से 10/02/2026. तक खुली रहेगी। इस अवधि के बाद, रेलवे भर्ती बोर्ड आवेदन में दी गई जानकारी में संशोधन के लिए किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।

18.0 अमान्य आवेदन/अस्वीकरण

क. ऑनलाइन आवेदन अन्य कारणों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होंगे:

i) विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड या एक ही रेलवे भर्ती बोर्ड के लिए एकाधिक आवेदन: ऐसे मामले में, सभी आवेदन सीधे तौर पर खारिज कर दिए जाएंगे और ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य की सभी रेलवे भर्ती बोर्ड और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।

ii) उम्मीदवार की लाइव फोटो छवि कैप्चर करने के लिए पैरा 14.4 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

iii) पैरा 14.5 के तहत हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने पर परीक्षा के किसी भी चरण में उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

iv) उम्मीदवार का नाम किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड/रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की वर्जित सूची में है।

v) 18.0 (ए) के तहत उपरोक्त पैराग्राफ में सूचीबद्ध विचलन सहित कोई अन्य अनियमितता जो आवेदन जांच चरण के दौरान, कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए ई-बुलावा पत्र जारी करने से पहले/बाद में या दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान पाई जाती है।

ख. **अस्वीकृत आवेदन:** अस्वीकृत आवेदनों का विवरण संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर लॉग इन करके देखा जा सकता है, अस्वीकृति के कारण के साथ जो अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस विषय पर कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र अस्वीकृत होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भी भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

19.0 ई-बुलावा पत्र से संबंधित निर्देश

क. कंप्यूटर आधारित परीक्षा कार्यक्रम, अनुवाद परीक्षण/दस्तावेज़ सत्यापन और ई-बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिंक के बारे में

जानकारी और विवरण रेलवे भर्ती बोर्ड की संबंधित वेबसाइटों पर दिए जाएंगे। योग्य उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल के जरिए भी सूचित किया जाएगा। हालाँकि, उम्मीदवारों को नियमित रूप से रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाना चाहिए क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड के नियंत्रण से परे कारणों से उम्मीदवारों को एसएमएस/ई-मेल की डिलीवरी में विफलता हो सकती है।

ख. योग्य उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा, अनुवाद परीक्षा (जैसा लागू हो) के लिए अपना ई-बुलावा पत्र (और स्क्राइब के लिए, जहां लागू हो) रेलवे भर्ती बोर्ड वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि पैरा 16.0 (i) में दिया गया है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, अनुवाद परीक्षा (जैसा लागू हो) की दिनांक से लगभग 4 (चार) दिन पहले। हालाँकि, कंप्यूटर आधारित परीक्षा, अनुवाद परीक्षा के लिए परीक्षा के शहर के बारे में सूचना लगभग 10 (दस) दिन पहले दी जाएगी।

ग. उम्मीदवारों को डाक द्वारा कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।

घ. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी और निर्देश ई-बुलावा पत्र के साथ दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना और पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।

ङ. निःशुल्क यात्रा सुविधा: एससी और एसटी उम्मीदवार जो निःशुल्क यात्रा के पात्र हैं और नि:शुल्क रेल यात्रा का विकल्प चुनते हैं, उनके ई-बुलावा पत्र में ही नि:शुल्क यात्रा प्राधिकार (स्लीपर कक्षा रेलवे पास) शामिल होगा। ऐसे एससी और एसटी उम्मीदवारों को टिकट बुकिंग काउंटर पर अपने ई-बुलावा पत्र और एससी/एसटी प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करके ट्रेन आरक्षण बुक करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान,एससी और एसटी उम्मीदवारों को यात्रा करने के लिए अपना **मूल समुदाय प्रमाण पत्र और पहचान का एक मूल निर्धारित प्रमाण** साथ रखना चाहिए, ऐसा न करने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा। **नि:शुल्क यात्रा प्राधिकार का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों की यह जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम दें, ऐसा न करने पर आरक्षण प्राप्त करते समय उनका यात्रा प्राधिकार रद्द हो सकता है।**

च. परीक्षा के दौरान, उम्मीदवारों को अपने ई-बुलावा पत्र के साथ एक वैध मूल फोटो आईडी (जैसे, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, उम्मीदवार के सरकारी कर्मचारी होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान पत्र, स्कूल / कॉलेज / विश्वविद्यालय फोटो आईडी कार्ड (यदि अभी भी पढ़ रहा है), आदि) परीक्षा हॉल में लाना होगा, ऐसा न करने पर उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

छ. कंप्यूटर आधारित परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन/चिकित्सा परीक्षण के दौरान, उम्मीदवारों को एक रंगीन पासपोर्ट फोटोग्राफ लाना होगा जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन/चिकित्सा परीक्षण की दिनांक से दो महीने से अधिक पुराना न हो, जैसा लागू हो।

चेतावनी: अभ्यर्थियों को स्व-घोषणा का पैराग्राफ लिखना होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा स्थल पर केवल परीक्षा हॉल में पर्यवेक्षक की उपस्थिति में हस्ताक्षर करना होगा और बायें हाथ के अंगुठा का निशान लगाना होगा और परीक्षा के समापन से पहले इसे पर्यवेक्षक को सौंपना होगा। पहले से स्व-घोषणा पैराग्राफ लिखने वाले और/या बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर करने वाले उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

20.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों का प्रारूप

क. दस्तावेज सत्यापन. के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को डी.वी. के समय अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ-साथ उनकी दो सेट स्व-सत्यापित फोटोकॉपी भी जमा करानी होंगी।

ख. इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रतियां (असली रंग में) अपनी दस्तावेज सत्यापन तिथि से पहले पोर्टल - https://oirms-ir.gov.in/rrbdv के माध्यम से अपलोड करनी चाहिए।

ग. सभी प्रमाणपत्र केवल अंग्रेज़ी या हिंदी में होने चाहिए। जहाँ प्रमाणपत्र अंग्रेज़ी/हिंदी में नहीं हैं, वहाँ स्व-प्रमाणित अनुवादित संस्करण (हिंदी/अंग्रेज़ी में) जहाँ भी/जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में ही होने चाहिए।

घ. दस्तावेज सत्यापन की तिथि पर मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

ङ. जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहेंगे उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

च. जो उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाना चाहते हैं/या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज़

सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित/प्रासंगिक प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और यदि वे पात्र हैं, तो उनकी उम्मीदवारी/आवेदन सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के अंतर्गत विचार किए जाएँगे। प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार होने चाहिए। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

21.0 अनुचित व्यवहार का प्रयोग

क. कोई भी अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण के दौरान किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाएगा जैसे जालसाजी, प्रतिरूपण, धोखाधड़ी, कदाचार, प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग करने का प्रयास, तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण या दबाना, गलत जानकारी प्रदान करना या झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करना आदि, उसे सभी आरआरबी और आरआरसी की सभी परीक्षाओं में आजीवन उपस्थित होने से वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में नियुक्ति से भी वंचित कर दिया जाएगा और यदि वह पहले ही नियुक्त हो चुका है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार पर उचित कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। [ध्यान दें: 21.06.2024 से प्रभावी "सार्वजनिक परीक्षा) अनुचित साधनों की रोकथाम (अधिनियम, 2024" अधिनियम]

ख. परीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, आरआरबी व्यापक परीक्षा-पश्चात विश्लेषण करते हैं। इसमें लॉग विश्लेषण, फोटोग्राफ और बायोमेट्रिक सत्यापन, और सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा के माध्यम से विस्तृत जाँच शामिल है। परीक्षा के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुचित साधनों में संलिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उनकी उम्मीदवारी रद्द करना और सभी आरआरबी और आरआरसी की भविष्य की परीक्षाओं से उन्हें वंचित करना शामिल है।

ग. भर्ती प्रक्रिया के संबंध में अनुचित हितों को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के अनुचित और अनुचित प्रभाव का उपयोग करने पर संबंधित उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे पद से हटा दिया जाएगा।

घ. **चेतावनी: रेल में या तो प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक साधनों का उपयोग करके नियुक्ति का प्रस्ताव देने वाले बेईमान तत्वों और नौकरी रैकेटियरों से सावधान रहें । रे.भ.बो. भर्ती के लिए किसी भी एजेंट या कोचिंग सेंटर की नियुक्ति नहीं करता है। उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है।**

22.0 विविध

क. भर्ती प्रक्रिया के हर चरण में उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया जाएगा। किसी भी विसंगति के मामले में, संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने और उस आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

ख. रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी उम्मीदवार की पहचान को सत्यापित करने और पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं आयोजित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

ग. रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी स्तर पर अतिरिक्त कंप्यूटर आधारित परीक्षा/अनुवाद परीक्षण/दस्तावेज सत्यापन/चिकित्सा परीक्षण (आवश्यकतानुसार) आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड बिना कोई कारण बताए इस सीईएन में अधिसूचित किसी भी श्रेणी के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी भर्ती प्रक्रिया के आंशिक या संपूर्ण भाग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

घ. पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त रेल पास जारी करना, गलत जानकारी के लिए दंडात्मक कार्रवाई, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संचालन, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन आदि से संबंधित सभी मामलों में रेलवे भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

ङ. रेलवे भर्ती बोर्ड किसी भी अनजाने/मुद्रण संबंधी त्रुटियों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे और ऐसी त्रुटियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। अनजाने/ मुद्रण त्रुटि के कारण, यदि किसी उम्मीदवार को कंप्यूटर आधारित परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है या परिणाम घोषित किया जाता है या सूचीबद्ध किया जाता है या नियुक्त किया जाता है, तो रेलवे भर्ती बोर्ड परिणामों को रद्द करने/संशोधित करने और ऐसे उम्मीदवारों के पैनल को रद्द/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और यदि पहले से ही नियुक्त है, तो उसे मौलिक आधार के रूप में योग्यता और अवसर की समानता के

सिद्धांत को सुनिश्चित करते हुए सेवा से हटाया जा सकता है।

च. उम्मीदवार का आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकार होने और उसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए ई-बुलावा पत्र मिलने के बाद, इस सीईएन से जुड़े कोई भी कानूनी मामले संबंधित माननीय केन्द्रिय प्रशासनिक प्राधिकरण/उच्च न्यायालय के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएंगे, जिसके तहत उम्मीदवार का चुना हुआ संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड स्थित है। हालांकि, अगर किसी भी कारण से आवेदन अस्वीकार होने के कारण उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, तो इस सीईएन से जुड़े कोई भी कानूनी मामले माननीय केन्द्रिय प्रशासनिक प्राधिकरण, जयपुर/राजस्थान राज्य के हाई कोर्ट के कानूनी अधिकार क्षेत्र में आएंगे

छ. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्दिष्ट अधिसूचना के विरुद्ध जारी किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण सूचना के लिए आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट देखते रहें।

ज. व्याख्या के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में, अधिसूचना का अंग्रेजी संस्करण और उसके बाद आधिकारिक आरआरबी वेबसाइटों पर प्रकाशित संशोधन/शुद्धिपत्र/महत्वपूर्ण सूचना को अंतिम माना जाएगा।

व्याख्या के बारे में किसी भी विवाद की स्थिति में, रेलवे भर्ती बोर्ड वेबसाइटों में प्रकाशित अधिसूचना/संशोधन/शुद्धिपत्र/नोटिस का अंग्रेजी संस्करण अंतिम माना जाएगा।

23.0 इस केंद्रीकृत रोज़गार सूचना संख्या में इस्तेमाल किए गए संक्षिप्त रूप

भर्ती प्रक्रिया के चरण	सीबीटी: कंप्यूटर आधारित टेस्ट, टीटी: अनुवाद परीक्षण, डीवी: दस्तावेज़ सत्यापन, एमई:चिकित्सा परीक्षण
आरक्षण/आयु में छूट श्रेणी	ईबीसी = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस= आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एक्सएसएम = भूतपूर्व सैनिक, ओबीसी-सीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग- क्रीमी लेयर, ओबीसी-एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग - गैर क्रीमी लेयर, एससी = अनुसूचित जाति, एसटी = अनुसूचित जनजाति, यूआर = अनारक्षित (सामान्य)
दिव्यांग	आर-वीआई = नियमित दृष्टिबाधित, आर-एचआई = नियमित श्रवण बाधित, आर-एलडी = नियमित लोकोमोटर दिव्यांगता, आर-ओडी = नियमित अन्य दिव्यांगता, आर-एमडी = नियमित एकाधिक दिव्यांगता, बी- वीआई = बैकलॉग दृष्टिबाधित, बी-एचआई = बैकलॉग श्रवण बाधित, बी-एलडी = बैकलॉग लोकोमोटर दिव्यांगता, बी-ओडी = बैकलॉग अन्य दिव्यांगता, बी-एमडी = बैकलॉग मल्टीपल डिसेबिलिटीज, एएवी = एसिड अटैक विक्टिम, एएसडी = ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बी = ब्लाइंड, बीएल = दोनों पैर, डी = बहरा, डीडब्ल्यू = बौनापन, एचएच = सुनने में कठिनाई, एचआई = सुनने में दिक्कत, आईडी = बौद्धिक दिव्यांगता, एलसी = ठीक हुआ कुष्ठ रोग, एलडी = लोकोमोटर्स दिव्यांगता, एलवी = कम दृष्टि, एमडीवाई = मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एमडी = एकाधिक दिव्यांगताएं, एमडब्ल्यू = मांसपेशियों की कमजोरी, ओए = एक हाथ, ओएल = एक पैर, ओएएल = एक हाथ और एक पैर, पीडब्ल्यूबीडी = बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति, आरपीडब्ल्यूडी = दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, वीआई = दृष्टि हानि, एसआई = रीढ़ की हड्डी में चोट, एसडी = रीढ़ की हड्डी में क्षति।
रेलवे जोन/संगठन	सीएलडब्ल्यू = चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन; सीआर=मध्य रेलवे, बीएलडब्ल्यू=बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी; पीएलआई=पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स, पटियाला; ईआर=ईस्टर्न रेलवे, ईसीआर=ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईसीओआर=ईस्ट कोस्ट रेलवे, आईसीएफ=इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, मेट्रो रेलवे/कोलकाता; एनएआईआर = भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकादमी, एनआर = उत्तरी रेलवे, एनसीआर = उत्तर मध्य रेलवे, एनईआर = उत्तर पूर्वी रेलवे, एनएफआर = पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, एनडब्ल्यूआर = उत्तर पश्चिम रेलवे, पीएसयू = सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, पीयू = उत्पादन इकाई, आरसीएफ = रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला; आरडीएसओ = अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, लखनऊ; रेलवे = रेलवे, रेलवे भर्ती बोर्ड = रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ = रेलवे भर्ती सेल, आरडब्ल्यूएफ = रेल व्हील फैक्ट्री, बेंगलुरु; आरडब्ल्यूपी = रेल व्हील प्लांट, बेला; द.रे.=दक्षिणी रेलवे, द.रे.म. =दक्षिण मध्य रेलवे, द.पु.रे.= दक्षिण पुर्वी रेलवे द.पु.म.रे. =दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, द.प.रे.=दक्षिण पश्चिम रेलवे, प.रे.=पश्चिमी रेलवे, प.म.रे.=पश्चिम मध्य रेलवे।
रेलवे भर्ती बोर्ड (रेलवे भर्ती बोर्ड)	एडीआई=अहमदाबाद, एआईआई=अजमेर, पीआरवाईजे=प्रयागराज, बीसीटी=मुंबई, बीबीएस=भुवनेश्वर, बीपीएल=भोपाल, बीएलएसपी=बिलासपुर, सीडीजी=चंडीगढ़, जीकेपी=गोरखपुर, जीएचवाई=गुवाहाटी, जेएटी=जम्मू श्रीनगर, केओएल=कोलकाता, एमएएस=चेन्नई, एमएलडीटी=मालदा, एमएफपी=मुजफ्फरपुर, पीएनबीई/पीएटी=पटना, आरएनसी=रांची, बीएनसी=बेंगलुरु, एससी=सिकंदराबाद, एसजीयुजे =सिलीगुड़ी, टीवीसी =तिरुवनंतपुरम।
सामान्य	सीबीएसई=केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड; सीईएन = केंद्रीकृत रोजगार सूचना, जीपी = ग्रेड वेतन, आईएफएससी = भारतीय वितीय प्रणाली कोड, जेपीईजी = संयुक्त फोटोग्राफिक विशेषज्ञ समूह, केबी = किलो बाइट, एलटीआई = बाएं अंगूठे का निशान, ओटीपी = वन टाइम पासवर्ड, यूपीआई = एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस।

चेतावनी:

- प्रभाव दिखकार या अनुचित और अनैतिक साधनों के इस्तेमाल से रेलवे में नौकरी दिलाकर कपट करने वाले दलालों और नौकरी दिलाने वाले घोटालेबाजों से सावधान रहें। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी ओर से इस हेतु किसी एजेंट(एजंटो) या कोचिंग केंद्र(केंद्रो) की नियुक्ति नहीं की है। उम्मीदवारों को ऐसे व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले दावों के बारे में सचेत किया जाता है। उम्मीदवारों का चयन पूर्णतया योग्यता के आधार पर होता है। अनैतिक तत्वों से सावधान रहें और उनके चंगुल में न फंसे। रेलवे भर्ती बोर्ड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट देखें और बेईमान तत्वों/दलालों द्वारा डाली गई नकली वेबसाइटों और सोशल मीडिया सामग्री से सावधान रहें।

भारतीय रेल

अनुलग्नक- I

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*..................................पुत्र/पुत्री*..................गांव/कस्बा...
................................./जिला/मंडल*...
.... राज्य / केंद्र शासित प्रदेश* .... जाति*/जनजाति से संबंधित है जिसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है:

@संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.

@संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.

@संविधान (अनुसूचित जातियां) (केंद्र शासित प्रदेश) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;

@संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (केंद्र शासित प्रदेश) (भाग सी राज्य) आदेश 1951;

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन आदेश 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976) द्वारा संशोधित]

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

@संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित

@संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962।

@संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश, 1962।

@संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964।

@संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967.

@संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968।

@संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968।

@संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970।

@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978।

@संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978.

@संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989।

@संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990।

@संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991।

@संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996।

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002।

@संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002।

@अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002। समय-समय पर यथासंशोधित।

% 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू, जो एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं।

यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती* ....श्री/श्रीमती/कुमारी* के पिता/माता* को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है।

गांव/कस्बा*...राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के/जिला/मंडल*..जो उस जाति*/जनजाति से संबंधित है, जिसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है* दिनांक.. द्वारा जारी किया गया है।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी*..और/या* उसका/उसका* परिवार सामान्यतः गांव शहर*..................जिला/मंडल*.................. राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* में रहता है.................................. Shri/Srimati/Kumari*..and/or* his/her* family ordinarily resides in Village Town*...............................District/Division*............................of the State/Union Territory* of ....

स्थान...................... दिनांक................................

हस्ताक्षर..................................पदनाम......................
............(कार्यालय की मुहर के साथ)राज्य/केंद्र शासित प्रदेश..................

*कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं हैं। @कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश को उद्धृत करें।% पैराग्राफ को हटा दें, जो लागू नहीं है।

नोट: (ए) यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी:1. जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)। 2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट। 3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों। 4. उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है। 5. केंद्र या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित। 6. प्रशासक/प्रशासक के सचिव (लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)।

अनुलग्नक-II

अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के (एनसीएल)
पत्र का प्रारूप-किए जाने वाले प्रमाण उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत

श्री/श्रीमती ________________________ के पुत्र/पुत्री* हैं, जो गाँव/नगर* ________________________ जिला/मंडल* ________________________ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ________________________ में ________________________ समुदाय से संबंधित हैं, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प क्रमांक ________________________ दिनांक ________________________** के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कुमारी* ________________________ और/या उनका* परिवार ________________________ जिला/मंडल* ________________________ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* ________________________ में सामान्यतः निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम-3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) में भारत सरकार के डीओपीटी के दिनांक 13.09.2017*** के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना (रे) द्वारा संशोधन किए जाने के बाद भी सम्मिलित नहीं है।

दिनांक: ________________________

जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी
कार्यालय मुहर

* कृपया जो शब्द लागू नहीं हों, उन्हें हटा दें।

** प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का विवरण उल्लेखित करना होगा, जिसमें उम्मीदवार की जाति ओबीसी के रूप में दर्शाई गई है।

*** समय-समय पर यथासंशोधित।

जिला मजिस्ट्रेट सभी सक्षम/ आयुक्त.उप/
अधिकारी
(मुहर)

ध्यान दें :

(क) यहाँ प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करता है" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।
(ख) जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:
(i) जिला मजिस्ट्रेट / अपर मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अपर उपायुक्त / डिप्टी कलेक्टर / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुक मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे नहीं)।
(ii) मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी, जो उस क्षेत्र में जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार निवास करता है, तहसीलदार या उप-प्रभागीय अधिकारी के पद से नीचे न हो।

ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों द्‌वारा स्व-घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 08/2025 के पदों के लिए आवेदन करने वाले
अन्य पिछड़ा (नॉन क्रिमिलयेर) वर्ग के उम्मीदवारों द्‌वारा दस्तावेज सत्यापन के समय
प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप

मैं...सुपुत्र/सुपुत्री..
.... श्री .... गाँव/शहर/.........................
जिला ....राज्य ....एतद द्‌वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मै ....समुदाय (अपनी जाति का उल्लेख करें), जिसे कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एसटीसी), दिनांक 08.09.1993 में अंतर्विष्ट आदेशो के अनुसार सेवा में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्‌वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है । यह भी घोषणा करता हूँ /आरती हूँ कि मै उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन 08.09.1993 और उत्तरवर्ती कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना -(आरईएस) दिनांक 27.05.2013 तथा 13.09.2017 की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों /वर्गों (क्रीमीलेयर) के अंतगर्त नहीं आता/आती हूँ ।

स्थान: उम्मीदवार का हस्ताक्षर :

दिनांक उम्मीदवार का नाम :

रे.भ.बो. पंजीकरण संख्या

भारतीय रेल

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो (ईडब्लूएस) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं सम्पति प्रमाणपत्र

__________________सरकार
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

प्रमाण पत्र क्र .... दिनांक ....

वर्ष __________ के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ____ पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री ____,ग्राम/मोहल्ला ____________________डाकघर ___________________________जिला _____________________________राज्य_________________________/संघ शासित् प्रदेश ___________________________________पिन कोड _________________________ के मूल निवासी है , जिनकी फोटो निचे अनुप्रमाणित है, वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, क्योंकि वित्तीय वर्ष _____________ में उनकी/उनके परिवार ** की सकल वार्षिक आय * 8 लाख रुपये (आठ लाख रुपये केवल) से कम है । उनके /उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी सम्पति *** नहीं है ।

I. 5 एकड़ और उससे ऊपर कृषि भूमि;
II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
III. अधिसूचित नगर्पलिकाओ में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के आलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड ।

2. श्री /श्रीमती /कुमारी ____उस जाति से सम्बंधुत है , जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सुची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है ।

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो	कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर____ कार्यालय ____ नाम ____ पद का नाम____

नोट 1: आय के अन्तगर्त सभी श्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे इत्यादी शामिल है ।

** नोट 2: एस उदेश्य के लिए 'परिवार' शब्द में, आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति के माता-पिता, 18 स्सल के कम उम्र के भाई बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम उम्र बच्चे शामिल है ।

*** नोट 3: ईडब्लूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या सम्पति धारण परिक्षण को लागू करते समय बिभिन्न स्थानों या शहरों /शहरों में एक 'परिवार ' द्वारा रखी गई सम्पति को जोड़ गया है ।

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट /कार्यकारी माजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों
(iv) उप मंडल अधिकारी, जहां उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाणपत्र

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या (सीईएन) संख्या 06/2025 के तहत दस्तावेज सत्यापन के समय आर्थिक रूप से पिछड़े(ईबीसी) के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली परीक्षा शुल्क छूट के लिए प्रोफोर्मा

प्रमाण पत्र संख्या..........................

1. उम्मीदवार का नाम : --

2. पिता का नाम : --

3. आयु : --

4. आवासीय पता : --

5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों व अंकों में) : --

दिनांक : ----------------------------

हस्ताक्षर :

नाम :

जारी करने वाले प्राधिकारी का मोहर :

नोट : आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का मतलब उस उम्मीदवार से है, जिसकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष रु. 50000/- रुपये से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग कि पहचान करने के प्रयोजन से आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत है :

(1) जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी ।
(2) लोकसभा के वर्तमान सांसद, उनके अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए ।
(3) राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य उस जिले के व्यक्तियों के लिए जिसमें ये सांसद सामान्यतः निवास करते हैं।
(4) केंद्रीय मंत्री भारत में कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए ।

भारतीय रेल

घोषणा

दस्तावेज सत्यापन के समय अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों द्वारा पस्तुत किये जाने वाले परीक्षा शुल्क छुट के लिए प्रोफार्मा केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या: 08/2025 के तहत् दस्तावेज़ सत्यापन

मैं, ... श्री .... का पुत्र/पुत्री, गाँव/कस्बा/शहर .... जिला .... राज्य .... का निवासी, यह घोषणा करता हूँ कि मैं ....[केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम/सिख/ईसाई/बौद्ध /जैन/पारसी समुदाय से संबंधित हूँ।

दिनांक: **उम्मीदवार के हस्ताक्षर**

स्थान: **उम्मीदवार का नाम**

नोट : दस्तावेज़ सत्यापन के समय परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय (यानी, मुस्लिम / सिख / ईसाई/बौद्ध / जैन / पारसी) से संबंधित है।

भारतीय रेल

फार्म-V

दिव्यांगता का प्रमाण पत्र

(अंगों के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनेपन के मामलों में और अंधेपन के मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

दिव्यांग व्यक्ति की हाल की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो (जिसमें सिर्फ़ चेहरा दिख रहा हो)

प्रमाणपत्र संख्या: .... दिनांक: ....**यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने** श्री/श्रीमती की सावधानीपूर्वक जांच की है। / कुमारी ....श्री का पुत्र/पत्नी/पुत्री .... जन्मदिनांक .... (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई) आयु .... वर्ष, पुरुष/महिला .... पंजीकरण संख्या .... मकान संख्या .... का स्थायी निवासी वार्ड/गांव/गली .... डाकघर .... जिला .... राज्य ...., जिसका फोटो ऊपर चिपका हुआ है, और मैं संतुष्ट हूं कि:

(A) वह निम्नलिखित का मामला है:
*लोकोमोटर दिव्यांगता
*बौनापन
*अंधापन
(कृपया जो लागू हो उस पर टिक करें)

(B) उसके मामले में निदान है..

(1) दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश जारी करने की संख्या और दिनांक निर्दिष्ट की जाएगी) के अनुसार उसके (शरीर के हिस्से) के संबंध में उसे ....% (आंकड़े में) ....प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी लोकोमोटर दिव्यांगता / बौनापन / अंधापन है।

(2) आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की दिनांक	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

जिस व्यक्ति के पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उसका हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर
(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण)

फार्म -VI

दिव्यांगता का प्रमाण पत्र

(एकाधिक दिव्यांगता के मामले में) [नियम 18(1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

दिव्यांग व्यक्ति की हाल की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो (जिसमें सिर्फ़ चेहरा दिख रहा हो)

प्रमाणपत्र संख्या :.. दिनांक : ....

1. **यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी की सावधानीपूर्वक जांच की है..**
……………………… श्री का बेटा/पत्नी/बेटी ……………………………………………………….
जन्म दिनांक …………….. (दिन/माह/वर्ष) आयु …………………. वर्ष, पुरुष/महिला ……….. पंजीकरण संख्या …………….
मकान संख्या …………………………… का स्थायी निवासी वार्ड/गांव/गली ………………………………………. डाकघर ………………………………… जिला ………………………. राज्य …………………. जिनकी फोटो ऊपर चिपकाई गई है और संतुष्ट हैं कि:

(A) **वह बहुदिव्यांगता का मामला है। उसकी स्थायी शारीरिक हानि/दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन नीचे दी गई दिव्यांगता के लिए दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश जारी करने की संख्या और दिनांक) के अनुसार किया गया है और नीचे दी गई तालिका में प्रासंगिक दिव्यांगता के सामने दिखाया गया है:**

क्र.सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित भाग	निदान	स्थायी शारीरिक हानि/मानसिक दिव्यांगता (% में)
1	लोकोमोटर दिव्यांगता			
2	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3	कुष्ठ रोग ठीक हो गया			
4	बौनापन			
5	मस्तिष्क पक्षाघात			
6	एसिड अटैक पीड़िता			
7	कम दृष्टि			
8	अंधापन			
9	बहरा			
10	सुनने मे कठिन			
11	वाणी और भाषा दिव्यांगता			
12	बौद्धिक दिव्यांगता			
13	विशिष्ट सीखने की अक्षमता			
14	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
15	मानसिक बिमारी			
16	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ			
17	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
18	पार्किंसंस रोग			
19	हीमोफीलिया			
20	थैलेसीमिया			
21	सिकल सेल रोग			

(B) **उपरोक्त के आलोक में, दिशानिर्देश के अनुसार उसकी समग्र स्थायी शारीरिक हानि ……………….. संख्या और दिनांक निर्दिष्ट किए जाने वाले दिशानिर्देशों का जारी होना इस प्रकार है:**
आंकड़ों में: .... प्रतिशत, शब्दों में .... प्रतिशत

2. **यह स्थिति प्रगतिशील/अप्रगतिशील है/सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।**

3. **दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन है: आवश्यक नहीं है, या ii) अनुशंसित है/..................वर्ष महीनों के बाद, और इसलिए यह प्रमाणपत्र.. (दिन/माह/वर्ष) तक वैध रहेगा।. @उदा- बाएँ/दाएँ/दोनों हाथ/पैर; उदा-. एक आँख/दोनों आँखें; उदा.- बाएँ/दाएँ/दोनों कान**

4. **आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है:**

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की दिनांक	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. **चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर**

सदस्य का नाम और मुहर **सदस्य का नाम और मुहर** **अध्यक्ष का नाम और मुहर।**

जिस व्यक्ति के पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उसके हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान।

फार्म-VII

दिव्यांगता का प्रमाण पत्र

(फॉर्म V और VI में उल्लेखित मामलों के अलावा) [नियम 18(1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

प्रमाणपत्र संख्या: .... दिनांक: ....

दिव्यांग व्यक्ति की हाल की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो (जिसमें सिर्फ़ चेहरा दिख रहा हो)

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी की सावधानीपूर्वक जांच की है..................................
………………. श्री का पुत्र/पत्नी/पुत्री .... जन्मदिनांक................................. (दिन/माह/वर्ष)
आयु.................................वर्ष, पुरुष/महिला.................पंजीकरण संख्या................................. मकान संख्या.. का स्थायी निवासी.. वार्ड/गांव/गली.................................डाकघर.................
……
राज्य…………………… जिसकी फोटो ऊपर लगी है और मैं संतुष्ट हूं कि: (ए) वह .... दिव्यांगता का मामला है।
उसकी प्रतिशत शारीरिक हानि की सीमा/

नीचे दी गई तालिका में संबंधित दिव्यांगता के सामने टिक की गई और दर्शाई गई दिव्यांगता के लिए दिव्यांगता का मूल्यांकन दिशा-निर्देशों (दिशा-निर्देश जारी करने की संख्या और दिनांक निर्दिष्ट की जानी है) के अनुसार किया गया है:

क्र.सं	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित भाग	निदान	स्थायी शारीरिक हानि/मानसिक दिव्यांगता (% में)
1	लोकोमोटर दिव्यांगता			
2	मस्कुलर डिस्ट्रॉफी			
3	कुष्ठ रोग ठीक हो गया			
4	मस्तिष्क पक्षाघात			
5	एसिड अटैक पीड़िता			
6	कम दृष्टि			
7	बहरा			
8	सुनने मे कठिन			
9	वाणी और भाषा दिव्यांगता			
10	बौद्धिक दिव्यांगता			
11	विशिष्ट सीखने की अक्षमता			
12	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
13	मानसिक बिमारी			
14	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ			
15	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
16	पार्किंसंस रोग			
17	हीमोफीलिया			
18	थैलेसीमिया			
19	सिकल सेल रोग			

(बी) उपरोक्त के आलोक में, दिशानिर्देशों (निर्दिष्ट किए जाने वाले) के अनुसार उसकी समग्र स्थायी शारीरिक हानि इस प्रकार है: आंकड़ों में:
.... प्रतिशत, शब्दों में .... प्रतिशत।

2. यह स्थिति प्रगतिशील/अप्रगतिशील है/सुधार होने की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।
3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन है:
   (i) आवश्यक नहीं है, या (ii) अनुशंसित है/............ वर्ष.................. महीनों के बाद, और
   इसलिए, यह प्रमाणपत्र (DD/MM/YYYY) तक वैध रहेगा

   @उदा. बाएँ/दाएँ/दोनों हाथ/पैर; # उदा. एक आँख/दोनों आँखें; £ उदा. बाएँ/दाएँ/दोनों कान
4. आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है:

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की दिनांक	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

प्रतिहस्ताक्षरित [(यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी सेवक नहीं है तो सीएमओ/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी अस्पताल के प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर और मुहर)	(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

ध्यान दें: यदि यह प्रमाणपत्र किसी ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी सेवक नहीं है, तो यह केवल जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगा। मुख्य नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या S.O.908(E), दिनांक 31 दिसंबर, 1996 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

स्क्राइब का उपयोग करने हेतु वचन पत्र

नोट: **1.** दृष्टिहीनता, लोकोमोटर दिव्यांगता (दोनों हाथ प्रभावित - बीए) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि व्यक्ति चाहे तो स्क्राइब की सुविधा दी जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-**V(D)** के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

2. बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में, किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर स्क्राइब के प्रावधान की अनुमति दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक कमी है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर अनुलग्नक-**V(G)** के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक-**V(D)** के अनुसार वचन पत्र जमा करने के बाद स्क्राइब की सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

3. 40% से कम दिव्यांगता वाले पीडब्लुबीडी व्यक्ति (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, **2016** की धारा **2**(एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा **2** (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए) और लिखने में कठिनाई होने पर वे अनुलग्नक-**V(E)** के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और अनुलग्नक-**V(F)** के अनुसार वचन पत्र को परीक्षा केंद्र में जमा करने के बाद अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रस्तावित स्क्राइब का विवरण

यहां स्क्राइब की हाल की रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाएँ, जिसका साइज़ 3.5 cm x 4.5 cm हो (रंगीन फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए)

1. उम्मीदवार का नाम. ....

2. रोल नं...

3. कंप्यूटर आधारित परीक्षा केंद्र का नाम..

4. उम्मीदवार की योग्यता...

5. दिव्यांगता प्रकार ....

6. स्क्राइब का नाम ....

7. स्क्राइब की जन्मदिनांक...

8. स्क्राइब के पिता का नाम..

9. स्क्राइब का पता:

(a) स्थायी पता...

(b) वर्तमान पता ....

10. स्क्राइब की शैक्षिक योग्यता ....

11. उम्मीदवार के साथ स्क्राइब का संबंध, यदि कोई हो................................

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर फोटो के नीचे ऊपर दिए गए बॉक्स में

12. घोषणा:

i) हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब/स्क्राइब द्वारा सहायता प्राप्त अभ्यर्थियों के आचरण के संबंध में रेलवे भर्ती बोर्ड के निर्देशों को पढ़ा/पढ़ाया है और यहां उनका पालन करने का वचन दिया है।

ii) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब स्वयं इस परीक्षा में अभ्यर्थी नहीं है। हम समझते हैं कि अन्यथा पाये जाने पर हम दोनों की उम्मीदवारी खारिज कर दी जायेगी।

iii) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब ने इस परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी के लिए स्क्राइब के रूप में कार्य नहीं किया है/नहीं करेगा।

iv) हम घोषणा करते हैं कि स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता से एक कदम कम है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि स्क्राइब की योग्यता स्क्राइब द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है, और यह परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से परे है, तो उम्मीदवार पद और उससे संबंधित दावों से वंचित हो जाएगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

ऊपर दिए गए बॉक्स में स्क्राइब के बाएं अंगूठे का निशान

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, यानी 40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/सुश्री/श्रीमती .... (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री .... (गांव/थाना/थाना/जिला/राज्य) के निवासी, ... वर्ष, ... वाले व्यक्ति की जांच की है। (दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति), और यह बताना कि उसकी/उसकी कुछ सीमाएं हैं जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता में बाधा डालती हैं। परीक्षा लिखने के लिए उसे स्क्राइब के सहयोग की आवश्यकता होती है।

2. उपरोक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम निर्दिष्ट करें) का उपयोग करते हैं जो स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक हैं।

3. यह प्रमाणपत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और ....तक वैध है (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है)।

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/ पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक/पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक/विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो)	अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.......अध्यक्ष				

मुहर सहित सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

जगह:

दिनांक:

40% से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्ति द्वारा वचन पत्र

यहां स्क्राइब का हालिया रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं जिसका आकार 3.5 सेमी x 4.5 सेमी है (रंगीन फोटोग्राफ 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)

में स्क्राइब के हस्ताक्षर
फोटो के नीचे बॉक्स के ऊपर

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के तहत कवर किए गए निर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति द्वारा वचन पत्र, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किया गया है, यानी 40% से कम दिव्यांगता वाले व्यक्ति और लिखने में कठिनाई होने पर।

1. मैं ------------------------------------ (दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति) वाला एक अभ्यर्थी --------------------- (परीक्षा का नाम) के लिए रोल नंबर ----------------- जिला --------------------- (केंद्र का नाम) -- (राज्य का नाम) के लिए उपस्थित हो रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता --- है।

2. मैं इसके द्वारा यह कहता हूं कि...................................... (स्क्राइब का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी को स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद्द्वारा वचन देता हूं कि उसकी योग्यता ------------------------------------ है। यदि, बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित नहीं है और मेरी योग्यता से परे है, तो मैं पद या प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(यदि उम्मीदवार नाबालिग है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

जगह:

दिनांक:

भारतीय रेल

अनुलग्नक-V (G)

<u>एक परीक्षार्थी को लिखने में शारीरिक सीमा के संबंध में प्रमाण पत्र</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि, मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती ___________________________ (दिव्यांग उम्मीदवार का नाम), _________________________ वाले व्यक्ति (दिव्यांगता के प्रमाण पत्र में उल्लेखित दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशत), पुत्र/पुत्री ____ के निवासी की जांच की है। (गांव/जिला/राज्य) और यह बताना होगा कि उसकी/उसकी शारीरिक सीमाएं हैं जो उसकी दिव्यांगता के कारण उसकी लेखन क्षमताओं में बाधा डालती हैं।

हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम एवं पदनाम

मुहर सहित सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

जगह:

दिनांक:

ध्यान दें: प्रमाणपत्र प्रासंगिक स्ट्रीम/दिव्यांगता (उदाहरण के लिए दृश्य हानि - नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर दिव्यांगता-आर्थोपेडिक विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए।

भारतीय रेल

अनुलग्नक-VI

भूतपूर्व सैनिक कोटा का लाभ लेकर असैन्य रोजगार के संबंध में भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

मैं समझता हूँ कि मैं इस केंद्रीकृत रोजगार सूचना के (सीईएन)अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं रहूँगा, यदि मैंने नियुक्ति से पहले किसी भी समय भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की छूट का लाभ लेकर किसी भी असैनिक क्षेत्र सार)्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय संविधिक / निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि सहितमें रोजगार प्राप्त किया हो। (
मैं इसके द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की भी घोषणा करता हूँ:

(क) सीईएन ______________________________ के पदों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन में भाग लेने से पहले, मैंने भूतपूर्व सैनिक कोट के लाभ लेकर कोई भी असैनिक रोजगार प्राप्त नहीं किया है।

(ख) मैंने असैनिक रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिक कोट का लाभ उठाया है और मैंने असैनिक रोजगार ज्वॉइन करने से पहले सीईएन ______________________________ में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए अपने आवेदन(नों) का विवरण अपने नियुक्ति को स्व-घोषणा / वचन पत्र द्वारा दे दिया है। विनम्र निवेदन है कि नियुक्ति को स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत करने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (जो लागू न हो उसे काट दें)।

स्थान..............................

हस्ताक्षर..

नाम..

दिनांक: ....

रोल नंबर: ....

अनुबंध-VI(A)

नियोजित अधिकारियों(भुतपूर्व सैनिक) के लिए प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा

1. सूचित किया जाता है कि श्री/कुं./श्रीमती ______________________ (यूनिट/कार्यालय) में ______________ (रैंक) के रूप में कार्यरत हैं, उन्होंने विज्ञापन के माध्यम से ______________________ (भर्ती एजेंसी का नाम) द्वारा विज्ञापित ____________ पद के लिए आवेदन किया है क्रमांक ______________ दिनांक __________

2. मैं, उपलब्ध जानकारी के साथ, श्री/कुमारी/श्रीमती______________________(नाम) संख्या ______________(रैंक) के संबंध में निम्नानुसार

प्रमाणित करता हूं:-

i. वह पूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के लिए ____________ वर्षों (शब्दों में) की निर्धारित अवधि को, अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन, _________ (दिनांक) को पूरा कर लेगा। श्री/कुं/श्रीमती. ________________ को अनापत्ति प्रमाणपत्र की दिनांक पर _________ वर्ष की सेवा (शब्दों में) और सैन्य सेवा छोड़ने के समय _________ सेवा के वर्ष (शब्दों में) पूरे करने होंगे।

ii. पद पर चयन होने पर उसे कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

स्थान:

दिनांक:

कमान अधिकारी:

(हस्ताक्षर)

कार्यालय मोहर

भारतीय सेना

कनिष्ठ अनुवादक/हिन्दी

1. इस पेपर के सामान्य भाग में 50 प्रश्न होंगे।

2. भाषा भाग में 30 प्रश्न हिंदी भाषा से और 20 प्रश्न अंग्रेजी भाषा से होंगे। इन 50 प्रश्नों का अन्य भाषाओं में अनुवाद नहीं किया जाएगा।

   जैसे, हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न केवल हिंदी में मुद्रित किए जाएंगे और अंग्रेजी भाषा से संबंधित प्रश्न केवल अंग्रेजी में मुद्रित किए जाएंगे।

ध्यान दें: कठिनाई स्तर मानक 12वीं (+2चरण) का होगा

हिंदी भाषा के लिए पाठ्यक्रम:

(प्रत्येक से तीन प्रश्न)	
क्र.सं.	विषय
1.	समानार्थी शब्द
2	पर्यायवाची शब्द
3	विलोम शब्द
4	प्रत्यय
5	उपसर्ग
6	सन्धि विच्छेद
7	मुहावरे और लोकोक्तियाँ
8	तत्सम-तद्भव
9	एक शब्द के लिए वाक्यांश
10	शब्द/वाक्य शुद्धि

अंग्रेजी भाषा के लिए पाठ्यक्रम:

(प्रत्येक से दो प्रश्न)	
क्र.सं.	विषय
1.	पर्यायवाची विपरीतार्थक
2	हिंदी में अनुवाद
3	प्रत्यय/उपसर्ग
4	वाक्यांश/मुहावरे
5	शब्दों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें
6	सर्वनाम/क्रिया/काल
7	आलेख/पूर्वसर्ग/संयोजन
8	विशेषण क्रिया – विशेषण
9	प्रश्न टैग
10	सक्रिय और निष्क्रिय आवाज

कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक

क्र.स.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1.	औद्योगिक संबंध: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; भारतीय व्यापार संघ अधिनियम, 1926; औद्योगिक रोजगार [स्थायी आदेश] अधिनियम, 1946।	9 से 11
2.	सामाजिक सुरक्षा विधान: कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923; कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961.	9 से 11
3.	मजदूरी से संबंधित कानून: न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; वेतन भुगतान अधिनियम, 1936; बोनस भुगतान अधिनियम, 1965; ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972.	9 से 11
4.	काम की स्थितियों को प्रभावित करने वाला कानून: भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948; खान अधिनियम, 1952.	7 से 10
5.	कंप्यूटर और एप्लिकेशन की मूल बातें: इनपुट और आउटपुट डिवाइस; एमएस ऑफिस;	3 से 5
6.	सूचना का अधिकार अधिनियम - उसके प्रावधान।	2 से 4
7.	नई पेंशन योजना	1 से 3
	कुल	**50**

भारतीय रेल

मुख्य विधि सहायक

क्र.स.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1.	भारतीय संविधान: प्रस्तावना और मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संघ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।	3 से 5
2.	प्रशासनिक कानून: प्रशासनिक कानून की प्रकृति और दायरा; प्रशासन की विधायी शक्ति; प्रशासन की न्यायिक शक्ति; प्रशासनिक कार्रवाई का न्यायिक नियंत्रण; निगम और सार्वजनिक उपक्रम.	2 से 3
3.	न्यायशास्त्र: प्रकृति और अवधारणा, न्यायशास्त्र के स्कूल, कानून के स्रोत, कानूनी अवधारणाएं, कानूनी व्यक्ति	3 से 4
4.	टॉर्ट्स का नियम: सामान्य अवधारणाएँ।	2 से 3
5.	हिंदू कानून: स्रोत, विवाह, तलाक, भरण-पोषण, दत्तक ग्रहण, उपहार, उत्तराधिकार।	3 से 4
6.	सिविल प्रक्रिया संहिता: सामान्य; मुकदमा, निष्पादन; अपील; संदर्भ, समीक्षा और संशोधन; लिखित बयान, सेट-ऑफ़ और प्रति-दावा; परीक्षा, खोज, प्रवेश और दस्तावेज़ कानून।	5 से 7
7.	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता: विभिन्न खंड।	2 से 3
8.	भारतीय न्याय संहिता: सामान्य; सज़ा; उकसाना, आपराधिक साजिश; राज्य के विरुद्ध अपराध, लोक सेवकों के वैध प्राधिकरण की अवमानना, झूठे साक्ष्य; मानव शरीर और संपत्ति को प्रभावित करने वाले अपराध।	2 से 3
9.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023: तथ्यों की प्रासंगिकता; ऐसे तथ्य जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है; मौखिक साक्ष्य; दस्तावेज़ी प्रमाण; सबूत का बोझ; रोक; साक्षियों की जांच और साक्ष्यों की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति।	2 से 3
10.	भारतीय अनुलग्नक अधिनियम, 1872: समझौता, अनुलग्नक और प्रस्ताव; स्वीकृति; सोच-विचार; अनुलग्नक करने की क्षमता; सहमति को ख़राब करने वाले कारक; वस्तु की वैधता; अनुबंधों का निष्पादन; अनुलग्नक का उल्लंघन; क्षतिपूर्ति और गारंटी ; जमानत.	2 से 3
11.	परिसीमा अधिनियम, 1963: मुकदमों, अपीलों और आवेदनों की प्रारंभिक और परिसीमा; सीमा की अवधि; कब्ज़ा और विविध द्वारा स्वामित्व का अधिग्रहण।	2 से 3
12.	विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963: विशिष्ट राहत एवं निवारक राहत।	1 से 2
13.	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932: साझेदारी की प्रकृति और साझेदारों के एक दूसरे से संबंध; तीसरे व्यक्ति से पार्टियों के संबंध; आने वाले और बाहर जाने वाले भागीदार; एक फर्म का विघटन; फर्मों का पंजीकरण.	1 से 2
14.	मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: मध्यस्थता; समझौता	2 से 3
15.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम: सामान्य प्रावधान।	1 से 2
16.	मानवाधिकारों का संरक्षण: सामान्य प्रावधान।	1 से 2
17.	संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम: सामान्य, पार्टियों के अधिनियम द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण; अचल संपत्ति की बिक्री; अचल संपत्ति के बंधक और शुल्क; अचल संपत्ति का पट्टा; आदान-प्रदान; उपहार.	2 से 3
18.	सूचना का अधिकार अधिनियम: सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व; केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग; अपील और दंड.	1 से 2
19.	कंपनी कानून: कंपनी का गठन, पंजीकरण और निगमन; पूंजी निर्माण; कॉर्पोरेट प्रशासन और कंपनियों का समापन।	2 से 3
20.	श्रम कानून: औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948; फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948; वेतन भुगतान अधिनियम, 1936.	3 से 5
	कुल	50

अनुलग्नक-X

वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक

क्र.स.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	**संचार**	12 से 15
	संचार का परिचय; संचार का इतिहास; औजार; संचार के मूल सिद्धांत; संचार के प्रकार; संचार की अनिवार्यताएँ; संचार के सिद्धांत; प्रभावी सिद्धांत; संचार की प्रक्रिया; संचार की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक; संचार के रूप; मौखिक संचार.	
2	**जन संचार**	12 से 15
	जनसंचार के युग; जनसंचार का परिचय एवं इतिहास; जनसंचार की संस्कृति एवं कार्य; जनसंचार के उपकरण; पत्रकारिता; प्रेस संहिता एवं नैतिकता; जनसंचार के तत्व; मीडिया दर्शकों का मनोविज्ञान और समाजशास्त्र; जनसंचार के मॉडल; जनसंचार के सिद्धांत; संचार में मुद्दे; मास मीडिया और जनमत।	
3	**विज्ञापन देना**	10 से 13
	अवधारणा, विज्ञापन के कार्य, किसी उत्पाद/सेवा/विचार के विज्ञापन अवसर का निर्धारण करने वाले कारक, विज्ञापन प्रदर्शन/वर्गीकृत/व्यापार/उत्पाद/वित्तीय/कॉर्पोरेट आदि के प्रकार और वर्गीकरण, ब्रांड प्रबंधन और स्थिति, रचनात्मक और अभियान अवधारणाएं; विज्ञापन का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, विज्ञापन: नैतिकता, कोड और कानून, ब्रांड इक्विटी और विज्ञापन।	
	विज्ञापन एजेंसी - एजेंसी के प्रकार, संरचना, कार्य, भूमिकाएँ और दायरा।	
	एजेंसी ग्राहक संबंध, शीर्ष संगठन: डीएवीपी, आईएनएस, आईएसए, एएएआई।	
4	**जनसंपर्क**	10 से 13
	जनसंपर्क; जनसंपर्क का विकास; भारत में पीआर; जनता की राय; पीआर प्रक्रिया; आंतरिक संचार के लिए पीआर; बाहरी जनता के लिए पीआर; संचार का जनसंचार माध्यम; नैतिकता और पीआर; मीडिया से निपटना/मीडिया की कार्यप्रणाली; पीआर में लेखन की भूमिका; पीआर में उभरती चुनौतियाँ।	
	पीआर प्रबंधन - इवेंट मैनेजमेंट, संकट प्रबंधन, समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन।	
	पीआर कानून - आचार संहिता, पीआर और प्रेस परिषद, मानहानि, आधिकारिक गुप्त अधिनियम 1923, कॉपीराइट अधिनियम 1957, पुस्तक अधिनियम 1867 का प्रेस पंजीकरण।	
	न्यायालय की अवमानना	
	कंप्यूटर और उसके अनुप्रयोग (2 से 3 प्रश्न)	
5	ब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब आदि जैसे सोशल मीडिया पर विषय और कवरेज	3 से 5
कुल		50

अनुलग्नक-XI

प्रयोगशाला सहायक ग्रेड III रसायनज्ञ एवं धातुकर्म

क्र. सं.		विषय	प्रश्नों की संख्या
i		यांत्रिक परीक्षण के बुनियादी बुनियादी सिद्धांत यानी तन्य परीक्षण, प्रभाव परीक्षण, भार विक्षेपण परीक्षण, मोड़ परीक्षण आदि।	4 से 8
ii		परीक्षण में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के उपकरणों और मशीनों का बुनियादी ज्ञान।	3 से 6
iii		स्टील, कच्चा लोहा, अलौह धातु, रबर, प्लास्टिक और कंपोजिट जैसी सामग्रियों का बुनियादी ज्ञान।	6 से 8
iv	ए)	स्टील और कास्ट आयरन में सी, एमएन, सी, एस, पी, सीआर, नी और मो और अन्य तत्वों और उनके प्रभावों का अनुमान।	2 से 3
	बी)	अलौह धातुओं एवं मिश्रधातुओं का परीक्षण।	2 से 4
	सी)	इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मूल सिद्धांत और विभिन्न इलेक्ट्रो-प्लेटेड कोच घटकों का परीक्षण।	2 से 5
v	ए)	कोचों में पेंटिंग शेड्यूल और पेंट में खराबी।	2 से 4
	बी)	आरओजेड प्राइमर, सिंथेटिक एनामेल्स और पी.यू. का परीक्षण पेंट्स।	2 से 4
vi		रबर और रबर उत्पादों, एल.पी. शीट्स, लकड़ी, चिपकने वाले, पीवीसी, रेक्सिन, प्लाईवुड फोम और एफआरपी वस्तुओं का परीक्षण।	3 से 6
vii		तेल एवं स्नेहक: तेल एवं स्नेहक, ग्रीस आदि का परीक्षण।	3 से 5
viii		**गैर विनाशकारी परीक्षण:**	
	ए)	वेल्डिंग और स्टील कास्टिंग की एक्स-रे परीक्षण और गामा किरणों की जांच का ज्ञान। फिल्म विकास और रेडियोग्राफी की बुनियादी बातें।	2 से 5
	बी)	अल्ट्रासोनिक परीक्षण के सिद्धांत.	2 से 4
	सी)	मैग्नाफ्लक्स और डाई पेनेट्रेंट परीक्षण।	2 से 3
		कुल	50

लोक अभियोजक

क्र. स	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	**कानूनी अवधारणाएँ** कानून के तहत व्यक्ति - प्राकृतिक और कानूनी व्यक्तित्व - जानवरों की कानूनी स्थिति, अजन्मा और मृत व्यक्ति - कॉर्पोरेट व्यक्तित्व - कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व - संपत्ति की अवधारणा - संपत्ति के प्रकार और अधिग्रहण के तरीके - स्वामित्व और कब्जे की अवधारणा - अवधारणा और अधिकारों के प्रकार - राज्य - यह राज्य के आवश्यक तत्व और प्रकार हैं।	3 से 4
2	**अपराधशास्त्र और दंडशास्त्र** अपराध के कारण कारक - अपराध विज्ञान का सकारात्मक स्कूल - लोम्ब्रोसो, एनरिको फेर्री और टार्डे - अपराध और समाजशास्त्र - गरीबी और अपराध - विभेदक एसोसिएशन सिद्धांत - सफेदपोश अपराध - सजा के सिद्धांत - सुधारात्मक और पुनर्वास तकनीक - भारतीय दंड संहिता के तहत दंड के प्रकार - मृत्युदंड और इसकी संवैधानिक वैधता - जेल श्रम - पैरोल।	3 से 4
3	**अपराध के सामान्य सिद्धांत** अपराध और इसकी परिभाषा- कार्य प्रतिक्रिया- स्वैच्छिक कार्य- लापरवाही के कारण किया गया कार्य-अपकृत्य और अपराध के बीच अंतर-मानसिक वास्तविकता-भारतीय दंड संहिता के तहत इसके स्तर-अछूते अपराध-सामान्य इरादे-आपराधिक साजिश-आपराधिक प्रयास-उकसाने।	3 से 4
4	**भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सामान्य अपवाद** भारतीय न्याय संहिता, 2023 का अध्याय III - तथ्यों की गलती - न्यायिक कार्य - दुर्घटनाएं - शैशव और पागलपन के कार्य - सहमति और दबाव - छोटी चीजें - निजी बचाव - अन्य क्षम्य और उचित कार्य - सामान्य अपवादों की न्यायिक व्याख्या।	5 से 7
5	**मानव शरीर के विरुद्ध अपराध** लापरवाही से गैर इरादतन हत्या और हत्या - दहेज हत्या और आत्महत्या - गर्भपात का कारण - चोट और गंभीर चोट - एसिड हमला - अपहरण - एक महिला की विनम्रता के खिलाफ अपराध - बलात्कार और अप्राकृतिक अपराध - आपराधिक कानून संशोधन 2013 और इसके निहितार्थ - बच्चों के खिलाफ यौन शोषण और कार्यस्थल पर महिला के यौन उत्पीड़न पर प्रासंगिक विशेष कानून - न्यायिक प्रतिक्रियाएं।	3 से 4
6	**संपत्ति के विरुद्ध अपराध और अन्य अपराध** चोरी, जबरन वसूली, डकैती और डकैती के अपराध - संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग - विश्वास का उल्लंघन - चोरी की संपत्ति प्राप्त करना - धोखाधड़ी - शरारत - आपराधिक अतिचार - जालसाजी - झूठी गवाही - सार्वजनिक उपद्रव को प्रभावित करने वाले अपराध - राज्य के खिलाफ अपराध - धर्म और विवाह के खिलाफ अपराध - अश्लीलता।	5 से 7
7	**आपराधिक न्याय प्रशासन** आपराधिक न्याय प्रशासन का उद्देश्य - भारत में आपराधिक अदालतों की श्रेणियां और उनका क्षेत्राधिकार - लोक अभियोजक और उनकी भूमिका - कार्यकारी मजिस्ट्रेट - पुलिस का संगठन और उसकी शक्तियां - अपराधों का वर्गीकरण - संज्ञेय और गैर-संज्ञेय - जमानती और गैर-जमानती - भारतीय कानूनी प्रणाली के तहत पीड़ित संरक्षण - अपील के उपाय, पुनरीक्षण और उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां - जमानत और अग्रिम जमानत।	5 से 7
8	**साक्ष्य के सिद्धांत** भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 - साक्ष्य- प्रासंगिक तथ्य- साक्ष्य की स्वीकार्यता- सबूत के बोझ की अवधारणा- स्वीकारोक्ति- पुलिस अधिकारियों के समक्ष स्वीकारोक्ति- मृत्यु पूर्व घोषणा- दस्तावेजी साक्ष्य- सार्वजनिक दस्तावेजों का साक्ष्य मूल्य- साक्ष्य कानून के तहत अनुमान- अफवाह नियम और अपवाद- इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य- विशेषज्ञ साक्ष्य- व्यक्ति की पहचान- गवाह और गवाह की परीक्षा- साक्ष्य की अस्वीकृति।	5 से 7
9	**अभियुक्तों और गिरफ्तारों के संवैधानिक अधिकार** आपराधिक प्रक्रिया में दोषारोपण और जांच प्रणाली - निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा - संवैधानिक अधिकार के रूप में निष्पक्ष सुनवाई - सामाजिक आर्थिक अपराध और सबूत के बोझ का स्थानांतरण - आरोपी व्यक्ति के अधिकार - आत्म दोषारोपण के खिलाफ अधिकार - आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत आरोपी और पीड़ित की परीक्षा - नार्को विश्लेषण जैसे वैज्ञानिक परीक्षण - संवैधानिक वैधता - दोहरे खतरे के खिलाफ अधिकार - संवैधानिक और कानूनी प्रावधान - पूर्वव्यापी कानून और आपराधिक प्रक्रिया - गोपनीयता और आपराधिक प्रक्रिया का अधिकार - भुला दिए जाने का अधिकार - कैदियों के अधिकार - मनमानी गिरफ्तारी के लिए मुआवजे का अधिकार - निवारक निरोध- निःशुल्क कानूनी सहायता- कानूनी सेवा प्राधिकरण।	5 से 7
10	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता: विभिन्न खंड।	5 से 7
11	रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957; रेलवे अधिनियम 1989 और रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्ज़ा) अधिनियम, 1966	5 से 7
	कुल	50

वैज्ञानिक सहायक/प्रशिक्षण

क्र.स.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	**बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं** संवेदना, धारणा, ध्यान, स्मृति, सीखना और समस्या समाधान, भावना और प्रेरणा, मानव क्षमताओं की प्रकृति, बुद्धिमत्ता, योग्यता और रुचि	7 से 8
2	**व्यक्तित्व का मनोविज्ञान** व्यक्तित्व की अवधारणा, व्यक्तित्व का विकास और वृद्धि, व्यक्तित्व के सिद्धांत, माप की तकनीक, व्याख्या और भविष्यवाणी	5 से 7
3	**परामर्श एवं प्रशिक्षण** परामर्श के सिद्धांत, परामर्श के प्रकार, परामर्श की तकनीकें, प्रेरणा और मनोबल से संबंधित कर्मचारी परामर्श, प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन	6 से 8
4	**अनुसंधान क्रियाविधि** अनुसंधान के तरीके, अनुसंधान डिजाइन, परिकल्पना, नमूनाकरण तकनीक, डेटा संग्रह और विश्लेषण के तरीके, डेटा की व्याख्या और रिपोर्ट लेखन	6 से 8
5	**परीक्षण निर्माण** मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की परिभाषा, परीक्षणों के प्रकार, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण और मानकीकरण, विश्वसनीयता और वैधता का अनुमान, मानदंडों का विकास	6 से 8
6	**मनोविज्ञान में सांख्यिकीय विधि** माप का पैमाना, केंद्रीय प्रवृत्ति और परिवर्तनशीलता के माप, मानक स्कोर और सामान्यीकृत मानक स्कोर वितरण, प्रतिशत रैंक, सामान्य वितरण, सामान्य वक्र के तहत क्षेत्र, अंतर का महत्व, सहसंबंध और प्रतिगमन, भिन्नता का विश्लेषण, परिकल्पना परीक्षण, माप की विश्वसनीयता और वैधता, परीक्षण स्केल और मानदंड	6 से 8
7	**अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान** व्यक्तिगत अंतर और माप, व्यक्तित्व का आकलन, मनोवैज्ञानिक विकार और मानसिक स्वास्थ्य, दृष्टिकोण, उद्योग और संगठन में मनोविज्ञान, नैदानिक सेटिंग्स में मनोविज्ञान	6 से 8
	कुल	50

वैज्ञानिक पर्यवेक्षक/ एग्रोनॉमिक्स और प्रशिक्षण

क्र.स.	विषय	प्रश्नों की संख्या
1	**बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ** संवेदन, धारणा, ध्यान, स्मृति, सीखना और समस्या समाधान, भावना और प्रेरणा, मानव क्षमताओं की प्रकृति, बुद्धि, योग्यता और रुचि।	6 से 8
2	**जैवशारीरिक प्रक्रियाएँ-** केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क कार्यों का स्थानीयकरण, गोलार्द्ध विशेषीकरण, तंत्रिका आवेग चालन, रिसेप्टर प्रणाली, अंतःस्रावी तंत्र शारीरिक विकास), भावनात्मक गतिविधियों और व्यक्तित्व में भूमिका(, नींद और उत्तेजना।	7 से 8
3	**व्यक्तित्व का मनोविज्ञान** व्यक्तित्व की अवधारणा, व्यक्तित्व का विकास और वृद्धि, व्यक्तित्व के सिद्धांत, मापन की तकनीकें, व्याख्या और भविष्यवाणी।	6 से 8
4	**शोध पद्धति** शोध पद्धतियाँ, शोध डिज़ाइन, परिकल्पना, नमूना चयन तकनीक, डेटा संग्रह और विश्लेषण के तरीके, डेटा की व्याख्या और रिपोर्ट लेखन।	6 से 8
5	**परीक्षण निर्माण** मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की परिभाषा, परीक्षणों के प्रकार, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण और मानकीकरण, विश्वसनीयता और वैधता का आकलन, मानदंडों का विकास।	6 से 8
6	**मनोविज्ञान में सांख्यिकीय विधि** मापन के पैमाने, केंद्रीय प्रवृत्ति और परिवर्तनशीलता के उपाय, मानक अंक, सामान्यीकृत मानक अंक वितरण, प्रतिशत रैंक, सामान्य वितरण, सामान्य वक्र के अंतर्गत क्षेत्र, अंतरों का महत्व, सहसंबंध और प्रतिगमन, विचरण का विश्लेषण, परिकल्पना परीक्षण, माप की विश्वसनीयता और वैधता, परीक्षण पैमाने और मानदंड।	6 से 8
7	**अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान** व्यक्तिगत अंतर और मापन, व्यक्तित्व का मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक विकार और मानसिक स्वास्थ्य, दृष्टिकोण, उद्योग और संगठन में मनोविज्ञान, नैदानिक सेटिंग्स में मनोविज्ञान।	7 से 8

सीईएन-08/2025: पदवार पैरामीटर

अनुलग्नक-ए

कोटि संख्या	पदनाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	रुपयें (₹)	चिकित्सा मानक	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
							दृष्टि दोष	लोकोमोटिव दिव्यांगता	श्रवण दोष	अन्य दिव्यांगता	बहु दिव्यांगता	
1	मुख्य विधि सहायक	7	44900	सी 1	18	40	बी,एलवी	ओए,ओएल,बीएल, ओएएल,एलसी,डीडब्लु,एएवी,एसडी/एसआई, न्यूरोलॉजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना	नहीं	नहीं	हाँ	विधि में विश्वविद्यालय की डिग्री के साथ बार में अधिवक्ता के रूप में 3 वर्ष का स्थायी अभ्यास। सेवारत रेलवे कर्मचारी जो वर्थ स्नातक हैं, वे भी इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते कि उन्होंने रेलवे प्रशासन की किसी भी शाखा में कम से कम 5 वर्ष तक सेवा की हो। सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आरक्षण उन रेलवे मजिस्ट्रेटों के लिए भी उपलब्ध होंगे जो ऐसे पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखते हैं और आवेदन करने के इच्छुक हैं।
2	लोक अभियोजक	7	44900	सी 1	18	32	बी,एलवी	ओए,ओएल,बीएल, ओएएल,एलसी,डीडब्लु,एएवी,एसडी/एसआई न्यूरोलॉजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना	नहीं	नहीं	हाँ	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की डिग्री तथा बार में अधिवक्ता के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव।

कोटि संख्या	पदनाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	रुपयें (₹)	चिकित्सा मानक	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की उपयुक्तता					न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
							दृष्टि दोष	लोकोमोटिव दिव्यांगता	श्रवण दोष	अन्य दिव्यागंता	बहु दिव्यांगता	
3	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	35400	सी2	18	33	बी,एलवी	ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई, किसी संबद्ध न्यूरोलॉजिकल / अंग संबंधी शिथिलता के बिना एसआई। / एसडी	डी,एचएच	एएसडी (एम), एसएलडी, एमआई	हाँ	**(क)** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समकक्ष, जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिंदी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम हो। **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में तथा डिग्री स्तर पर अंग्रेजी या हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ या परीक्षा का माध्यम हो, उससे हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री या समकक्ष। **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री या समकक्ष, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय हों, या डिग्री स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक परीक्षा का माध्यम हो और दूसरा विषय अनिवार्य या वैकल्पिक हो। **(ख)** हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स **अथवा** भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिंदी से अंग्रेजी तथा उसके विपरीत अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव।
4	वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक	6	35400	सी 1	18	33	नहीं	ओए,ओएल,बीएल, एलसी,डीडब्लु,एएवी ,एसडी/एसआई, न्यूरोलॉजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना	नहीं	नहीं	नहीं	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से जनसंपर्क / विज्ञापन / पत्रकारिता / जनसंचार में डिप्लोमा। **वांछनीय :** संबंधित क्षेत्रों में 2 वर्ष का अनुभव।

कोटि संख्या	पदनाम	7वें सीपीसी में वेतन स्तर	रुपयें (₹)	चिकित्सा मानक	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की उपयुक्तता					न्यूनत्तम शैक्षणिक योग्यता
							दृष्टि दोष	लोकोमोटिव दिव्यांगता	श्रवण दोष	अन्य दिव्यांगता	बहु दिव्यांगता	
5	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	35400	सी 1	18	33	नहीं	डीडब्लु,एएवी,एसडी/ एसआई, न्यूरोलॉजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना	नहीं	नहीं	नहीं	स्नातक डिग्री के साथ निम्नलिखित योग्यताओं में से कोई एक: **(क)** श्रम / समाज कल्याण में डिप्लोमा। **(ख)** श्रम कानूनों में डिप्लोमा। **(ग)** श्रम कानूनों में पेपर के साथ एलएलबी। **(घ)** कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। **(ङ)** भारत सरकार के संस्थान द्वारा प्रदत्त कार्मिक प्रबंधन में पेपर के साथ एमबीए। **(च)** भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदत्त एमबीए / एचआर। **(छ)** मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, बशर्ते उसके पाठ्यक्रम में भारत सरकार के संस्थान द्वारा प्रदत्त कार्मिक प्रबंधन से संबंधित पेपर शामिल हो।
6	वैज्ञानिक सहायक/प्रशिक्षण	6	35400	बी 1	18	35	नहीं	डीडब्लु,एएवी,एसडी/ एसआई, न्यूरोलॉजिकल/ अंग संबंधी शिथिलता के बिना	नहीं	नहीं	नहीं	(क) मनोविज्ञान में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर डिग्री। (ख) मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रशासन में एक वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** 1. कंप्यूटर और सांख्यिकी का ज्ञान। 2. औद्योगिक / संगठनात्मक मनोविज्ञान में विशेषज्ञता।
7	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड – III रसायन एवं धातुकर्म	2	19900	बी 1	18	30	नहीं	ओए,ओएल,बीएल, डीडब्लु,एएवी,एसडी/ एसआई, न्यूरोलॉजिकल/अंग संबंधी शिथिलता के बिना	डी, एचएच	नहीं	हाँ	विज्ञान के विषयों (भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान) के साथ 12वीं (+2 स्टेज) या इसके समतुल्य परीक्षा। **अथवा** इसके समकक्ष।
8	वैज्ञानिक पर्यवेक्षक / एग्रोनॉमिक्स और प्रशिक्षण	7	44900	बी 1	18	35	नहीं	डीडब्ल्यू, एएवी, किसी संबद्ध न्यूरोलॉजिकल / अंगसंबंधी- शिथिलता के बिना एसडी / एसआई	नहीं	नहीं	नहीं	(क) मनोविज्ञान या शरीर विज्ञान में द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर डिग्री। (ख) मानसिक क्षमताओं और व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रशासन में दो वर्ष का अनुभव। **अथवा** मनोविज्ञान में दो वर्ष का अनुसंधान कार्य का अनुभव। **अथवा** प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने या प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने का दो वर्ष का अनुभव। **वांछनीय:** औद्योगिक मनोविज्ञान, एर्गोनॉमिक्स / काउंसलिंग में विशेषज्ञता के साथ कंप्यूटर एवं सांख्यिकी का ज्ञान।

अनुलग्नक बी

पद रिक्ति तालिका

आरआरबी अनुसार, रेलवे/उत्पादन ईकाई अनुसार एवं पद अनुसार रिक्तियाँ

रेलवे भर्ती बोर्ड/अहमदाबाद

कोटि संख्या	पदनाम	लेवल	रेलवे/ उत्पादन ईकाई	रिक्तियों की संख्या																
				युआर	एससी	एसटी	ओबीसी - एनसीएल	ईडब्ल्युएस	कुल	भूतपूर्व सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
5	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	प.रे.	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेलवे भर्ती बोर्ड/अजमेर

कोटि संख्या	पदनाम	लेवल	रेलवे/ उत्पादन ईकाई	रिक्तियों की संख्या																
				युआर	एससी	एसटी	ओबीसी - एनसीएल	ईडब्ल्युएस	कुल	भूतपूर्व सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
1	मुख्य विधि सहायक	7	उ.प.रे.	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	उ.प.रे.	5	3	0	0	1	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	उ.प.रे.	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड - III रसायन एवं धातुकर्म	2	उ.प.रे.	6	0	0	1	0	7	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
कुल				**14**	**3**	**0**	**2**	**1**	**20**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेलवे भर्ती बोर्ड/प्रयागराज

कोटि संख्या	पदनाम	लेवल	रेलवे/ उत्पादन ईकाई	रिक्तियों की संख्या																
				युआर	एससी	एसटी	ओबीसी - एनसीएल	ईडब्ल्युएस	कुल	भूतपूर्व सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
3	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	उ.म.रे.	6	2	1	5	1	**15**	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				**6**	**2**	**1**	**5**	**1**	**15**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेलवे भर्ती बोर्ड/बेंगलुरू

कोटि संख्या	पदनाम	लेवल	रेलवे/ उत्पादन ईकाई	रिक्तियों की संख्या																
				युआर	एससी	एसटी	ओबीसी - एनसीएल	ईडब्ल्युएस	कुल	भूतपूर्व सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
1	मुख्य विधि सहायक	7	आरडब्ल्यूएफ	1	0	0	1	0	**2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	द.प.रे.	2	0	1	1	0	**4**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक	6	द.प.रे.	1	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	द.प.रे.	1	0	0	1	0	**2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				**5**	**0**	**1**	**3**	**0**	**9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेलवे भर्ती बोर्ड/भोपाल

कोटि संख्या	पदनाम	लेवल	रेलवे/ उत्पादन ईकाई	रिक्तियों की संख्या																
				युआर	एससी	एसटी	ओबीसी - एनसीएल	ईडब्ल्युएस	कुल	भूतपूर्व सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
2	लोक अभियोजक	7	प.म.रे.	0	0	0	1	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	प.म.रे.	4	2	0	4	0	**10**	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				**4**	**2**	**0**	**5**	**0**	**11**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेलवे भर्ती बोर्ड/भुवनेश्वर

कोटि संख्या	पदनाम	लेवल	रेलवे/ उत्पादन ईकाई	रिक्तियों की संख्या																
				युआर	एससी	एसटी	ओबीसी - एनसीएल	ईडब्ल्युएस	कुल	भूतपूर्व सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
3	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	पू.त.रे.	2	1	2	2	0	**7**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक	6	पू.त.रे.	2	0	0	0	0	**2**	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड - III रसायन एवं धातुकर्म	2	पू.त.रे.	2	1	0	0	0	**3**	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
कुल				**6**	**2**	**2**	**2**	**0**	**12**	**1**	**1**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेलवे भर्ती बोर्ड/बिलासपुर

कोटि संख्या	पदनाम	लेवल	रेलवे/ उत्पादन ईकाई	रिक्तियों की संख्या																
				युआर	एससी	एसटी	ओबीसी - एनसीएल	ईडब्ल्युएस	कुल	भूतपूर्व सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
1	मुख्य विधि सहायक	7	द.पू.म.रे.	0	1	2	0	0	**3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	द.पू.म.रे.	1	0	1	3	1	**6**	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक	6	द.पू.म.रे.	1	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड - III रसायन एवं धातुकर्म	2	द.पू.म.रे.	2	0	0	1	0	**3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				**4**	**1**	**3**	**4**	**1**	**13**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेलवे भर्ती बोर्ड/चंडीगढ़

कोटि संख्या	पदनाम	लेवल	रेलवे/ उत्पादन ईकाई	रिक्तियों की संख्या																
				युआर	एससी	एसटी	ओबीसी - एनसीएल	ईडब्ल्युएस	कुल	भूतपूर्व सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
1	मुख्य विधि सहायक	7	उ.रे.	0	0	1	1	1	**3**	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	उ.रे.	10	4	1	8	3	**26**	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक	6	उ.रे.	1	1	0	0	0	**2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				**11**	**5**	**2**	**9**	**4**	**31**	**3**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेलवे भर्ती बोर्ड/चैन्नई

कोटि संख्या	पदनाम	लेवल	रेलवे/ उत्पादन ईकाई	रिक्तियों की संख्या																
				युआर	एससी	एसटी	ओबीसी - एनसीएल	ईडब्ल्युएस	कुल	भूतपूर्व सैनिक	नियमित					बैकलॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
3	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	आईसीएफ	1	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	द.रे.	4	3	1	7	3	**18**	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक	6	द.रे.	1	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	आईसीएफ	1	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	द.रे.	2	0	1	2	1	**6**	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
कुल				**9**	**3**	**2**	**9**	**4**	**27**	**3**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेलवे भर्ती बोर्ड/गोरखपुर

कोटि संख्या	पदनाम	लेवल	रेलवे/ उत्पादन ईकाई	रिक्तियों की संख्या																
				युआर	एससी	एसटी	ओबीसी - एनसीएल	ईडब्ल्युएस	कुल	भूतपूर्व सैनिक	नियमित					बैक्लॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
1	मुख्य विधि सहायक	7	उ.पु.रे.	1	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	उ.पु.रे.	7	2	1	4	1	**15**	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक	6	उ.पु.रे.	2	0	0	0	0	**2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	उ.पु.रे.	2	1	0	0	0	**3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	वैज्ञानिक सहायक / प्रशिक्षण	6	आरडीएसओ	1	0	1	0	0	**2**	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	वैज्ञानिक पर्यवेक्षक / एग्रोनॉमिक्स और प्रशिक्षण	7	आरडीएसओ	1	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
कुल				**14**	**3**	**2**	**4**	**1**	**24**	**2**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**

रेलवे भर्ती बोर्ड/गुवाहाटी

कोटि संख्या	पदनाम	लेवल	रेलवे/ उत्पादन ईकाई	रिक्तियों की संख्या																
				युआर	एससी	एसटी	ओबीसी - एनसीएल	ईडब्ल्युएस	कुल	भूतपूर्व सैनिक	नियमित					बैक्लॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
1	मुख्य विधि सहायक	7	पु.सी.रे.	2	1	0	2	1	**6**	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	लोक अभियोजक	7	पु.सी.रे.	1	1	0	0	0	**2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	पु.सी.रे.	4	1	1	3	1	**10**	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	पु.सी.रे.	1	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				**8**	**3**	**1**	**5**	**2**	**19**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेलवे भर्ती बोर्ड/कोलकाता

कोटि संख्या	पदनाम	लेवल	रेलवे/ उत्पादन ईकाई	रिक्तियों की संख्या																
				युआर	एससी	एसटी	ओबीसी - एनसीएल	ईडब्ल्युएस	कुल	भूतपूर्व सैनिक	नियमित					बैक्लॉग				
											वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
1	मुख्य विधि सहायक	7	सीएलडब्ल्यु	2	0	0	0	0	**2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	मुख्य विधि सहायक	7	पु.रे.	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	सीएलडब्ल्यु	2	0	0	1	0	**3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	द.पु.रे.	4	3	1	3	1	**12**	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक	6	सीएलडब्ल्यु	1	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक	6	पु.रे.	2	0	0	1	0	**3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक	6	मैट्रो	1	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	वरिष्ठ प्रचार निरीक्षक	6	द.पु.रे.	1	0	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	पु.रे.	2	1	0	0	0	**3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	द.पु.रे.	1	0	0	0	1	**2**	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड - III रसायन एवं धातुकर्म	2	पु.रे.	0	0	1	0	0	**1**	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड - III रसायन एवं धातुकर्म	2	द.पु.रे.	5	2	1	3	1	**12**	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				**24**	**6**	**3**	**8**	**3**	**44**	**2**	**1**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेलवे भर्ती बोर्ड/मुम्बई

कोटि संख्या	पदनाम	लेवल	रेलवे/ उत्पादन ईकाई	रिक्तियों की संख्या: युआर	एससी	एसटी	ओबीसी - एनसीएल	ईडब्ल्युएस	कुल	भूतपूर्व सैनिक	नियमित: वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	बैक्लॉग: वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
2	लोक अभियोजक	7	म.रे.	2	1	0	1	0	**4**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	म.रे.	11	4	2	7	3	**27**	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
3	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	प.रे.	15	2	2	3	2	**24**	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक	6	प.रे.	2	0	0	0	0	**2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड - III रसायन एवं धातुकर्म	2	म.रे.	5	1	1	2	1	**10**	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड - III रसायन एवं धातुकर्म	2	प.रे.	2	0	0	1	0	**3**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				**37**	**8**	**5**	**14**	**6**	**70**	**6**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

रेलवे भर्ती बोर्ड/पटना

कोटि संख्या	पदनाम	लेवल	रेलवे/ उत्पादन ईकाई	रिक्तियों की संख्या: युआर	एससी	एसटी	ओबीसी - एनसीएल	ईडब्ल्युएस	कुल	भूतपूर्व सैनिक	नियमित: वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी	बैक्लॉग: वी आई	एच आई	एल डी	ओ डी	एम डी
3	कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी)	6	पु.म.रे.	5	2	1	6	1	**15**	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल				**5**	**2**	**1**	**6**	**1**	**15**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल योग (सभी रेलवे भर्ती बोर्ड)				**149**	**40**	**23**	**76**	**24**	**312**	**27**	**6**	**5**	**9**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**